



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271443
CG-DL-E-31032026-271443

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 212]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 231(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2026-27 के लिए फाइल किए गए विवरणी पर लागू होंगे।
- आय-कर नियम, 1962, परिशिष्ट- II में, आई. टी. आर. 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

" प्ररूप	आ.क.वि- 7	भारतीय आयकर विवरणी [उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे केवल धारा 139(4क) या धारा 139(4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए]		निर्धारण वर्ष							
				2	0	2	6	-	2	7	
भाग क साधारण											
व्यक्तिगत सूचना	(क1) नाम (सृजन/स्थापना/निगमन/निर्माण विलेख में यथाउल्लिखित)					(क2) स्थायी लेखा संख्याक					
	संरचना के प्रयोजनों के लिए प्रदान किए जाने वाले पते: प्राथमिक पता: (क4क) फ्लैट /द्वार /ब्लॉक सं (क5क) परिसर/भवन/ग्राम का नाम (क6क) सड़क/मार्ग/डाकघर (क7क) क्षेत्र /अवस्थान (क8क) नगर/शहर/जिला (क9क) राज्य (क10क) पिनकोड/ जिप कोड					(क3) विरचना/निगमन की तारीख (ता.मा.व)					
	द्वितीयक पता: (क4ख) फ्लैट /द्वार /ब्लॉक सं (क5ख) परिसर/भवन/ग्राम का नाम (क6ख) सड़क/मार्ग/डाकघर (क7ख) क्षेत्र /अवस्थान (क8ख) नगर/शहर/जिला (क9ख) राज्य (क10ख) पिनकोड/ जिप कोड					(क11) प्रास्थिति		(क12) उपप्रास्थिति			
						□		□			
संरचना के प्रयोजनों के लिए प्रदान किया जाने वाला ब्यौरा											
(क13) कार्यालय का दूरभाष संख्या एस.टी.डी कोड सहित / करदाता का प्राथमिक मोबाईल संख्या			(क14) द्वितीयक मोबाईल सं.			(क15) करदाता का प्राथमिक ई मेल पता					
(क16) द्वितीयक ई मेल पता											
(क17) (i) धारा □ 139(4क) □ 139(4ख) □ 139(4ग) □ 139(4घ) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी											
(ii) धारा जिसके अधीन छूट का दावा किया गया है, कृपया वर्णन करें (ड्रापडाउन दिया जाए)											
(क18) क्या निर्धारित धारा कोई परियोजना/संस्था चलाई जा रही है? (हां/नहीं) यदि हां तो कृपया ब्यौरे दें: आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे											
क्र. सं.		परियोजना/संस्था का नाम			क्रियाकलाप की प्रकृति			वर्गीकरण			
1											
2											
3											
4											
(क19) आयकर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (आज्ञापक हैं, यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित हों) (जब निर्यात रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन स्वीकृत हो चुका है तो अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन का विवरण अनिवार्य नहीं है)											
क्र. सं.	धारा जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत/ अनंतिम रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित/ किया गया है	रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/ यूनिक रजिस्ट्रीकरण सं. (यू.आर.एन)	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण /अनंतिम रजिस्ट्रीकरण / अनुमोदन प्रभावी है						
1	(ड्रॉपडाउन उपलब्ध कराया जाएगा)										
2											

कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर						वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंत अतिशेष	
			शेयरों की सं.	अर्जन की लागत	शेयरों की सं.	अभिदाय/क्रय की तारीख	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गमन मूल्य (नए निर्गमन की दशा में)	प्रतिशेयर क्रय मूल्य (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की सं.	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की सं.	अर्जन की लागत	
			1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>(क22) क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध आस्ति के अंश/शेयर धारित किये हैं। निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो कृपया आस्ति व शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रविष्ट करें।</p>														

अन्य बॉरे	(क23)	i	क्या आपके द्वारा चलाए जा रही किसी परियोजना/संस्था पूर्व प्रयोजनों में से एक प्रयोजन साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की अभिवृद्धि करने का है यदि हाँ तो		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
		क	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप है?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
		ख	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में यथानिर्दिष्ट किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यापार वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
			ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति के प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्तियां	%
	ii	यदि 'क' अथवा 'ख' हाँ है तो ऐसी संस्था के संबंध में क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियां			
		क्रस.	प्रयोजन/संस्था का नाम	ऐसे क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तिओं की राशि	
		क			
		ख			
(क24)	i	क्या वर्ष के दौरान उन उद्देश्यों / क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके आधार पर अनुमोदन/ रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	ii	यदि हां, कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-			
	क	उक्त परिवर्तन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)		___/___/___	
	ख	क्या धारा 12क उपधारा (1) के खंड (कख)/ धारा 12क उपधारा(1) उपधारा के खंड (कग) के उपखंड (v) के अनुसार तीस दिन की नियत अवधि के भीतर विहित प्ररूप और रीति में नए रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	ग	क्या नया रजिस्ट्रीकरण /अनंतिम रजिस्ट्रीकरण धारा 112कख के अधीन स्वीकृत दिया गया है ?		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	घ	उक्त नई रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)		___/___/___	
(क25)	क्या यह आपकी प्रथम विवरणी है ?		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
(क26)	क्या धारा 10(23ग) या धारा 13(10) के बाइसवें परंतुक के उपबंध अनुप्रयोज्य है?		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
	यदि हां कृपया नीचे दी गई जानकारी प्रस्तुत करें क्या:-				
(क)	धारा 2 के खंड 15 के परंतुक के उपबंध लागू हैं		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		

	(ख)	10(23ग) के दसवें परन्तुक के खंड (क) में निर्दिष्ट शर्तें/धारा 12 क की उपधारा (1) के खंड ख के उपखंड (i) का उलंघन	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं							
	(ग)	(10(23ग) के दसवें परन्तुक के खंड (क) में निर्दिष्ट शर्तें/धारा 12 क की उपधारा (1) के खंड ख के उपखंड (ii) का उलंघन	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं							
	(घ)	10(23ग) के दसवें परन्तुक के खंड (क) में निर्दिष्ट शर्तें/धारा 12 क की उपधारा (1) के खंड (खक) का उलंघन	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं							
	(क27)	(i) क्या आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए आप दायी हैं? <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं यदि हाँ तो निम्नलिखित जानकारी दें:									
		(ii) किस धारा के अधीन आप संपरीक्षा के लिए दायी हैं (धारा विनिर्दिष्ट करें) कृपया संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख का उल्लेख करें (तारीख/मास/वर्ष) (अनुदेश देखिए)									
		<input type="checkbox"/>									
		क	संपरीक्षक का नाम (स्तत्वधारी/फर्म)								
		ख	स्तत्वधारी/फर्म का स्थायी खाता संख्यांक/आधार सं.								
		ग	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख/...../..... तारीख/मास/वर्ष								
		घ	संपरीक्षा रिपोर्ट की अभिस्वीकृती संख्या								
	(क28)	(i) यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख उल्लिखित करें।									
		अधिनियम और धारा	(तारीख/मास/वर्ष)	अधिनियम और धारा (तारीख/मास/वर्ष)							
सदस्य की जानकारी	(क29)	i. व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2026 को ए.ओ.पी सदस्यों में थे (जोखिम पूंजी निधि/ विनिधान निधि) द्वारा भरा जाए।									
		क्रम सं.	नाम और पता	शेयर की प्रतिशतता (यदि अवधारित करें)	पैन	आधार संख्या	प्रास्थिति				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
		ii. न्यास या संस्था के लेखकों/ संस्थापकों/ न्यासियों/ प्रबंधकों आदि के संबंध में विवरण (आईटीआर-7 दाखिल करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से भरना आवश्यक)									
	क	पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय पर सभी लेखकों/ संस्थापकों/ व्यवस्थापक/ (न्यासी)/ सोसाइटी के सदस्य/ शासी परिषद के सदस्य/ निदेशको/ 5 प्रतिशत या उससे अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारी / पदाधिकारी के ब्यौरे									
		क्रम सं.	नाम	संबंध	शेयर धारक के मामले में शेयर धारिता का प्रतिशत	क्या भारत का नागरिक है?	पहचान के प्रकार (ड्रापडाउन दिया जाए)	पहचान संख्या	पता	मोबाईल नंबर	ई मेल पता
		ख	यदि अन्य व्यक्तियों के मामले में (जैसे कि उपर्युक्त पंक्ति क में वर्णित है) वे व्यक्ति नहीं है तो उन नैसर्गिक व्यक्तियों का जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी अन्य समय में उक्त व्यक्ति का लाभकारी स्वामी (5 प्रतिशत या अधिक) है, विवरण दें।								

क्रम सं.	नाम	क्या भारत का निवासी है?	पहचान के प्रकार (डापडाउन दिया जाए)	पहचान संख्या	पता	लाभकारी स्वामित्व का प्रतिशत
ग	व्यक्ति(व्यक्तियों) का (के) नाम- जिसका न्यास या संस्था को कुल अभिदाय, यथास्थिति, सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 1 लाख रू. से अधिक है या सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के समाप्ति के दौरान कुल योग 10 लाख रू. से अधिक है जिसने पूर्व वर्ष के दौरान धारा 13(3)(ख) के अनुसार न्यास / संस्था में पर्याप्त योगदान किया है।					
	क्रम सं.	नाम व पता	पै न	आधार सं.		
घ	पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय में संबंधी (संबंधियों), लेखक(लेखकों), संस्थापक(संस्थापकों), सदस्य (सदस्यों) न्यासी(न्यासियों), प्रबंधक(प्रबंधकों)के नाम और जहां ऐसे लेखक, संस्थापक, न्यासी, प्रबंधक या व्यक्ति कोई अविभक्त कुटुंब है, उनके ऐसे कुटुंब के सदस्यों और संबंधियों के नाम कृपया धारा 13(3) के खंड (ख) से खंड (घ) निर्दिष्ट करें					
	क्रम सं.	नाम व पता	पै न	आधार सं.		

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची आई			धारा 11(2) के अर्थातर्गत या धारा 35(1) के साथ पठित धारा 10(23ग)/10(21)/10(23) के तीसरे परंतुक के निबंधनानुसार संचित/पृथक् रकमों के ब्यौरे											
संचयन कावर्ष (वित्तीय वर्ष)	संचयन के वर्ष में संचित रकम	संचयन का प्रयोजन	पूर्ववर्ती वर्ष की शुरुआत तक पूर्व/रकम धर्मार्थ/धार्मिक/वैज्ञानिक अनुसंधान/समाज विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त राशि	शेष	अन्य पूर्ववर्ती निर्धार वर्षों में कर राशि	आवेदन हेतु उपलब्ध शेष	संचयन पूर्ववर्ती वर्षों के अलावा वर्षों के दौरान परोपकारी धर्मार्थ/धार्मिक/वैज्ञानिक अनुसंधान/समाज विज्ञान	अनुप्रयुक्त राशि प्रयोजन के लिए संचयन किया गया (यदि लागू हो)	धारा 12क के अधीन पंजीकृत धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv)/ (v)/ (vi)/ (vii) के अधीन अनु	आवेदन हेतु उपलब्ध शेष राशि	धारा 11 से 11(5) में विनिर्दिष्ट निवेशित या जमा राशि	धारा 11 से 11(5) के बाहर (यदि प्रयोज्य हो) में विनिर्दिष्ट अलावा निवेशित या जमा राशि	संचयन की अवधि में रकम का उपयोग नहीं हुआ (यदि उपलब्ध हो)	(रकम जिसे धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थ के भीतर आय समझा जाएगा

		(क) वह आय जो उस वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुई है (ख) कोई अन्य कारण	वाली रकम		के दौरान अनुप्रयुक्त की जाने वाली	वित्तीय वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त किया गया	न सकी तथा आय समझी गई	रकम और जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 में आगे अनुप्रयुक्त किया जाता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6-7)	(9)=(4-6)
ड्रापडाउन दें		ड्रापडाउन दें						
2025-26		ड्रापडाउन दें						
योग								

अनुसूची घक		धारा 11 (1ख) के अनुसार पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में कर लगाई संचित आय का विवरण					
निर्धारण वर्ष		निर्धारण वर्ष जिसमें अनुसूची घ के स्तंभ 5 में निर्दिष्ट रकम पर कर लगाया गया था (रू. अंकों में)					
		वित्त वर्ष 2022-23 से पूर्व	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
संचयन वर्ष (वित्तीय वर्ष)		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च) (क+ख+ग+घ+ड)
वित्तीय वर्ष 2020-21 से पूर्व							
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
कुल							

अनुसूची ज		पूर्व वर्ष के अंतिम दिन तक निधि तथा विनिधानों को दर्शाने वाला विवरण [निर्धारिती द्वारा भरा जाए जिसने धारा 11 और 12 अथवा धारा 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग)(vिक)]									
अ	कार्पस के ब्यौरे										
1	कोष दान	01.04.2025 को प्रारंभिक अतिशेष (कोष 31.03.2025 तक अनुप्रयुक्त)	वर्ष के दौरान प्राप्त और कोष की तरह व्यवहृत	वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त	कोष में राशि विनिधानित या वापिस जमा किया गया (जो पूर्व में अनुप्रयुक्त की गई थी तथा अनुप्रयोग के	कोष में विनिधानित या जमा कुल राशि	वित्त वर्ष जिसमें (4) पहले अनुप्रयुक्त हुआ	31.03.2026 को अंत अतिशेष	धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट 31.03.2026 को दावों में विनिधान	पिछले कर निर्धारण वर्षों में कर योग्य राशि	धारा 11(5) में निर्दिष्ट से भिन्न 31.03.2026 के अलावा समुत्थान निवेश

				रूप में दावा नहीं की गई) जहां कोष से आवेदन 01.04.2021 को या उसके बाद किया गया हो।						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1+2+5-3)	(8)	(9)	(10)=7-8-9
i.01.04.2020 को या उसके पश्चात् धारा 80 छ (ख) के अधीन अनुसूचित नवीकरण या स्थानों की मरम्मत के लिए प्राप्त दानों के रूप में										
ii. 01.04.2021 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त (i) के अलावा										
iii. (i) एवं (ii) के अलावा योग										

अ	ऋण और उधार के ब्यौरे						
2	01.04.2025 को प्रारंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान उद्देश्यों के प्रति अनुप्रयोग के लिए लिया गया ऋण और उधार	वर्ष के दौरान न्यास या संस्था के वस्तुओं के लिए अनुप्रयुक्त	वर्ष के दौरान ऋण या उधार के प्रति संदाय की राशि (जो पहले प्रयुक्त किया गया था तथा अनुप्रयुक्त के अनुसार अदावाकृत) जहां किसी ऋण या उधार से अनुप्रयोग 01.04.2021 को या उसके	वित्त वर्ष जिसमें(4) पहले अनुप्रयुक्त है	वर्ष के दौरान ऋण या उधार का कुल प्रति संदाय	31.03.2026 को समाप्ति बकाया (7)

				पश्चात किया गया है				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(1+2-6)	
आ	धारा 11(5) के अधीन 31.03.2026 को निवेशित/जमा कोष के ब्यौरे							
	क्र.सं.	विनिधान में से		धारा 11(5) के अनुसार विनिधान का ढंग	विनिधान की रकम			
	(1)	(2)		(3)	(4)			
	i	धारा 80छ(2)(ख) के अधीन 01.04.2020 को या उसके बाद अधिसूचित स्थानों की मरम्मत या नवीनीकरण करने के लिए प्राप्त दान के रूप में कार्पस		डापडाउन दें (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				
	ii	01.04.2021 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त (i) के अलावा प्राप्त कोष						
iii	(i) एवं (ii) के अलावा							
iv	योग							
इ	उस (समुत्थानो) में, जिनमें धारा 13(3) धारा 10(23ग) के इक्कीसवें परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों का सारवान हित है, पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान							
	क्र. सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कंपनी है? (जो प्रयुक्त हो उसका निशान लगाएं <input checked="" type="checkbox"/>)	धारित शेरों की संख्या	धारित शेरों का वर्ग	विनिधान का कुल मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ (6) में वर्णित रकम पूर्व वर्ष के दौरान समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है (चिन्हित करें <input checked="" type="checkbox"/>)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	ii		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	iii		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	iv		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
v		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	योग							
ई	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान							
	क्र. सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कोई कंपनी है? (जो लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	धारित शेरों का वर्ग	धारित शेरों की संख्या	विनिधान का कुल मूल्य		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	i		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					
	ii		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					
	iii		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					
iv		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं						
v	योग							
उ	ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तन नहीं किया गया है							
	क्र. सं.	दाता का नाम और पता	अभिदाय/संदान का मूल्य	उद्देश्य के मद्दे लागू अभिदाय का मूल्य	धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम	धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशेष		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	i							
	ii							
iii								
iv	योग							

भाग क-बीएस		31 मार्च, 2026 को समेकित संतुलन पत्र		
निधियों का स्तोत	क	कोष स्तोत		
	1	कोष स्वामित्व		
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन को या उसके पश्चात् 01.04.2020 अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	1क	
	ख	01.04.2021 को या उसके पश्चात् अन्य प्राप्त कोष	1ख	
	ग	(क) एवं (ख)के अलावा प्राप्त कोष	1ग	
	घ	धारा 10 या धारा 11(2) के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के अधीन संचित आय	1घ	
	ङ	डीम्ड आय की शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों में छूट का दावा डीम्ड आवेदन के कारण तथा अनिवार्य आवेदन के कारण वित्त वर्ष 2026-27 से आगे आवेदित	1ङ	
	च	कोई अन्य आरक्षित (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		
		i प्रकृति निर्दिष्ट करें	i	
		ii प्रकृति निर्दिष्ट करें	ii	
		iii कुल (क + कii.)	1चiii	
	छ	कुल कोष (क + ख + ग + घ + ङ + च)	1छ	
	2	ऋण व उधार		
	क	सुरक्षित ऋण	क	
	ख	असुरक्षित ऋण (जमा सहित)	ख	
	ग	कुल ऋण कोष (क + ख)	2ग	
	3	अग्रिम	3	
	4	कोष स्तोत (1च + 2ग + 3)	4	
	निधियों का स्तोत	ख	निधियों का अनुप्रयोग	
1		अचल आस्तियां		
क		सकल अचल आस्तियां	1क	
ख		मूल्यहास	1ख	
ग		शुद्ध अचल आस्तियां (1क - 1ख)	1ग	
2		निवेश	2	
3		वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम		
क		वर्तमान आस्तियां		
		i माल	i	
		ii विविध देनदार	ii	
		iii नकद व बैंक बैलेंस		
		क बैंक में बैलेंस	iii क	
		ख पर्याप्त नकदी	iii ख	
		ग अन्य	iii ग	
		घ कुल नकद तथा नकद समकक्ष (iii क + iii ख + iii ग)	iii घ	
		iv अन्य वर्तमान आस्तियां	iv	
		v कुल अन्य आस्तियां (i + ii + iii घ + iv)	क v	
ख		ऋण व अग्रिम	ख	
ग		कुल (क v + ख)	ग	
घ	वर्तमान देनदारी तथा प्रावधान			
	i वर्तमान देनदारी			
	क विविध लेनदार	क		
	ख अन्य लेनदार	ख		
	ग कुल (क + ख)	ग		
	ii प्रावधान	ii		
	iii कुल (ग + ii)	घ iii		
ङ	शुद्ध वर्तमान आस्तियां (4ग - 4घ iii)	3ङ		
4	संचित शेष/कोई अन्य रिजर्व (घाटा)	4		
5	कुल निधि या अनुप्रयोग (1+2+3 ङ+4)	5		
6	5 के अलावा, धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में किया गया निवेश	6		
7	5 के अलावा, धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति के अलावा किया गया निवेश	7		

अनुसूची द

कोष के अनुसूची जे तथा बैलेंस का मिलान

विवरण	01.04.2020 को या उसे पश्चात् धारा 80छ(2)(ख) में अधिसूचित स्थानों के नवीकरण अथवा मरम्मत हेतु प्राप्त संदान के लावा कोष	01.04.2021 को या उसके पश्चात् अन्य प्राप्त कोष	(1) तथा (2) के अलावा कोष
	(1)	(2)	(3)
(क) अनुसूची जे के अनुसार 31.03.2026 को समापन शेष			
(ख) अंतर के कारण (+/-) (खi+खii+खiii)			
i) अचल परिसंपत्ति का क्रय			
ii) मूल्य अवक्षरण			
iii) कोई अन्य कारण (कृपया लिखें)			
(ग). बैलन्स शीट (क + ख) के अनुसार 31.03.2026 को समापन शेष			

अनुसूची पी.पी		राजनीतिक पार्टी	
1	अ) क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के अधीन पंजीकृत है?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	क) यदि हां, कृपया पंजीकरण सं. दर्ज करें।		
	ख) पंजीकरण तारीख/...../.....	
	आ) क्या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	क) यदि हां, तो मान्यता प्राप्ति की तिथि		
2	क्या लेखा बहियां रखी गई थी? जैसा लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
3	क्या खातों की लेखा-परीक्षा की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें <input checked="" type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें :-		
	क) लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
	ख) लेखा परीक्षा रिपोर्ट हस्ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम		
	ग) लेखा परीक्षक की सदस्य संख्या		
	घ) लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व/फर्म)		
	ङ) स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.		
	च) लेखापरीक्षक की स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार सं. (स्वामित्व/फर्म)		
	छ) लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख		
4	क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें <input checked="" type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
4क	यदि हां, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि (तिथी/माह/वर्ष)/...../.....	
4ख	भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग, जिसे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है	(ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्रॉपडाउन उपलब्ध कराया जाएगा)	
5	क) क्या वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	ख) यदि हां तो 20 हजार रुपए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के रूप में अभिदायों से भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित है जिसने ऐसा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
6	क्या पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलेक्ट्रॉनिक बंधपत्र के माध्यम से अन्यथा दो हजार रुपए से अधिक कोई संदान प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> करें)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
7	कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:		
	क) वि.व. के दौरान पार्टी द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक कुल योगदान (ख + ग + घ)	7क	
	ख) वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक कुल योगदान 2000रू. से कम प्राप्त का कुल मूल्य	7ख (7ख)	
	गii) वित्तीय वर्ष के दौरान नकद रूप में ₹2,000 तक प्राप्त सभी स्वैच्छिक अंशदानों का कुल मूल्य।	7गii	
	गiii) वित्तीय वर्ष के दौरान नकद के अलावा, ₹2,000 तक प्राप्त सभी स्वैच्छिक योगदानों का कुल मूल्य।	7गiii	
	घ) वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक अंशदान जो 20,000रू. से अधिक प्राप्त हुआ का कुल मूल्य	7घ	

अनुसूची	ड.न	निर्वाचक न्यास	
निर्वाचक न्यास	1	क्या लेखा बहियां रखी गई थी?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	2	क्या प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे? (जैसा लागू हो <input type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	3	क्या प्रत्येक ऐसे पात्र राजनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य अभिदायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार <input type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	4	क्या धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार <input type="checkbox"/> का निशान लगाएं) यदि हां तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं ____/____/____
	5	क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है? (जैसा लागू हो <input type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	6	प्राप्त ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यौरे	
	i	1 अप्रैल को आरंभिक अतिशेष	i
	ii	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वैच्छिक अभिदाय	ii
	iii	योग (i+ii)	iii
	iv	राजनैतिक दलों को वितरित रकम	iv
v	न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम (उपरोक्त क्रं सं. ii के 5% अथवा समावेशन के प्रथम वर्ष के लिए 5 लाख तथा बाद के वर्षों के लिए 3 लाख जो भी कम हो, तक सीमित)	v	
vi	योग (iv+v)	vi	
Vii	धारा 13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम (अनुसूची ईटी के क्रम सं. 6ii यदि 6iv में वितरित राशि 6iii के 95% है) (नियम 17गक के अनुसार)	Vii	
viii	31 मार्च को संवरण अतिशेष (iii)-(iv)	Viii	

अनुसूची फग	स्वैच्छिक अभिदाय (प्राप्त किये गए संदाय)(आई.टी.आर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए)
अ	घरेलू अंशदान (धारा 115खखग के तहत कर योग्य अज्ञात संदान के अलावा)
i	समग्र संदान
क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस
ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस
ii	समग्र संदान के अतिरिक्त
(क)	सरकार से प्राप्त अनुदान
(ख)	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान
(ग)	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान
(घ)	अन्य संदान
(ङ)	कुल
iii	घरेलू स्वैच्छिक अभिदाय (आ + आiiङ)
आ	विदेशी अभिदाय (धारा 115खखग के तहत कर योग्य अज्ञात संदान के अलावा)
i	समग्र निधि संदान (आ iक + आ iख)
क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस
ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस
ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त
iii	विदेशी अभिदाय (आ i + आii)
iv	प्रयोजन निर्दिष्ट करें जिसके लिए विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया
इ	कुल अभिदाय (आiii + आiiii)
ई	अज्ञात दान, धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य [निर्धारिती पर लागू जो धारा 11 या 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग)(vi) या

	10(23ग)(iiiकघ) या 10(23ग)(iiiकड़.) के अधीन छूट का दावा कर रहा है] [केवल ऐसे न्यासों से भिन्न द्वारा भरा जाए जो धारा 115खखग(2) के अधीन आते हैं]			
	i	प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग	i	
	ii	क्रम सं. ग + घ i पर प्राप्त कुल संदान का 5% या 1,00,000 जो भी उच्चतम हो	ii	
	iii	धारा 115 खखग के अधीन 30% (i - ii) की दर से कराधेय अनाम अभिदाय	iii	{नकारात्मक होने पर शून्य लिया जाएगा}
उ	(अनुसूची फग की क्रम सं. ईiii से भिन्न अनाम संदान(अनुसूची फ ग का ई से ईiii)		उ	

अनुसूची एआई		ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करके पूर्व के दौरान व्युत्पन्न कुल आय [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(viक)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]		
आय का कुल जोड़	1	मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां	1	
	2	अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां	2	
	3	किराया	3	
	4	कमीशन	4	
	5	लाभांश आय	5	
	6	ब्याज आय	6	
	7	कृषि आय	7	
	8	पूंजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल	8	
	9	कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
			प्रकृति	
	क	आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)	क	
	ख		ख	
	ग		ग	
	घ		घ	
	ड	कुल (9क + 9ख + 9ग + 9घ)	ड	9ड
10	कुल (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9)			10

अनुसूची ए		न्यास/ संस्थानों के स्थिर वस्तुओं पर लागू राशि समस्त स्त्रोतों से पूर्व वर्ष के दौरान तालिका इ1 से इ7 में संदर्भित [निर्धारित] द्वारा धारा 11 या 12 या धारा 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग)(viक) के अधीन छूट का दावा के लिए दाखिल किया जाएगा]				
अ	ट्रस्ट/संस्थान के विवरणित उद्देश्यों के लिए आवेदन			राज स्व	पूं जी	कु ल
1	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस से भिन्न संस्थान या न्यास को दान (किए गए दान के 100% की प्रविष्टी यहां करना आवश्यक है)			1		
1	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस से भिन्न संस्थान या न्यास को दान का 85%			1क		
2	धार्मिक			2		
3	गरिबों के लिए अनुतोष			3		
4	शिक्षा			4		
5	योग			5		
6	चिकित्सा अनुतोष			6		
7	पर्यावरण संरक्षण			7		
8	समारकों आदि का संरक्षण			8		
9	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता			9		
10	आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता			10		
11	धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत			11		
12	कुल (अ1क से अ 11)			अ		
आ	ग2 से ग7 (ख1 + ख 2 + ख3 + ख 4+ ख 5+ ख 6+ ख 7+ ख 8) पर निधि के स्त्रोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं टिप्पण : क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए			आ		

1	कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में	1		
2	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में	2		
3	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है।	3		
4	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान	4		
5	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया	5		
6	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।	6		
7	न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त	7		
8	किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए	8		
इ	पंक्ति क में पूंजी आवेदन तथा राजस्व जुटाने हेतु निधि का स्रोत (क्रम सं. अ12 में क्रम सं. इ2 से इ7 में विस्तारित रकम)	इ		
1	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ती/आय से व्युत्पन्न आय (कॉर्पस को छोड़कर)	1		
2	पूर्ववर्ती वर्षों में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक या धारा 11(2) के अधीन संचित आय	2		
3	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन अनुप्रयुक्त आय(केवल तभी लागू जब धारा 11 तथा 12 के अधीन छूट का दावा किया हो)	3		
4	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्ववर्ती की आय	4		
5	कॉर्पस	5		
6	उधार ली गई निधि	6		
7	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	7		
ई	पूर्व वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल राशि [अ 12-आ-इ 2-इ 3-इ 4-इ 5-इ 6-इ 7]	ई		
उ	'ई' के बाहर पूर्व वर्ष के दौरान रकम जो वास्तव में उपयोजित नहीं की गई (यदि यह क्रम सं. क12 में सम्मिलित है तो)	उ		
ऊ	राशि जो वास्तव में गत वर्ष के दौरान भुगतान की गई जो अन्य पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित की गई थी किंतु पहले गत वर्ष में आय अनुप्रयोग के अनुसार दावा नहीं की गई	ऊ		
ए	आवेदन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि (ए = ई - उ + ऊ)	ए		

अनुसूची आई.ई-1	आय और व्यय विवरण (धारा 10(21), धारा 10(23कक), धारा 10(23ख), धारा 10(23घ), धारा 10(23चक), धारा 10(23डग), धारा 10(23डघ), धारा 10(23डड), 10(23चख), धारा 10(29क), धारा 10(46), धारा 10(46क), धारा 10(46ख), धारा 10(47) के अधीन (छूटे गणनीयता या आय शर्तों के शीर्ष के अधीन नहीं होगी।)			
	1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1	
	2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2	
	3	संचित आय	3	

अनुसूची आई.ई-2 2	आय और व्यय विवरण (धारा 10(23क), धारा 10(24) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू) (जहां आय के केवल कतिपय शीर्ष कराधेय और नीचे पंक्ति 4 में रिपोर्ट की गई अन्य प्राप्तियां छूट प्राप्त है)			
	अ	1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां (पंक्ति ख के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले कराधेय शीर्षों के अधीन आने वाली प्राप्तियों के सिवाय)	1
		2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2
		3	संचित आय	3
	आ	1	क्या आपकी कोई ऐसी आय है जो कराधेय है? यदि हां तो कृपया कराधेय के ब्यौरे उपलब्ध कराएं (चिह्निकित) []	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	क	गृह संपत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची एच.पी भरें)	1 <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	ख	कारबार या वृत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची बी.पी भरें)	1 <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	ग	पूंजीलाभ से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची सी.जी भरें)	1 <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	घ	अन्य स्रोत से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची ओ.एस भरें)	1 <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	

अनुसूची आई.ई-3	आय एवं व्यय विवरण [निर्धारिती के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iii)कख या 10(23ग)(iii)कग] के अधीन छूट का दावा कर रहा है) (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें)(छूट, स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक, सरकारी अनुदानों के अधधीन होगी) :
----------------	--

1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	1	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	2	
3	किसी स्वेच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	3	
4	उपरोक्त क्रम सं.3 में से सरकारी अनुदान	4	
5	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	5	
6	संचित अतिशेष	6	

अनुसूची आई.ई-4

आय एवं व्यय विवरण [निर्धारिती के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iiiकघ) या 10(23ग)(iiiकड)] के अधीन छूट का दावा कर रहा है (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें) (छूट सभी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से पांच करोड़ रूपए से अनधिक कुल प्राप्तियों के अधीन होगी):

1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	1	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	2	
3	सकल वार्षिक प्राप्तियां	3	
4	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	4	
5	संचित अतिशेष	5	
	(उपरोक्त क्रम सं. 1 से क्रम संख्या 5 के लिए पंक्ति जोड़ने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।)		
	कुल वार्षिक प्राप्तियों की राशि(क्रम सं. 3 की राशि)		

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश	पिन कोड / जिप कोड		
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)						
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता (%)						
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता			
		I						
		II						
		[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं)	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (यदि उपलब्ध हों)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया जाता है)		
		<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो	I					
		<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	II					
		क	सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराये पर दिया जाए तो दोनों में से उच्चतर, यदि वर्ष के कुछ भाग के लिए किराये पर दिया जाए तो दोनों में से निम्नतम)				1क	
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख				
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग				
		घ	योग (1ख + 1ग)	1घ				
		ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)	1ङ				
		च	1 ङ का 30%	1च				
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (विवरण ई-फाइलिंग उपयोगिता में दिए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरे जाने हैं)	1छ					
	ज	योग (1च + 2ज)	1ज					
	झ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया /वसूलनीय किराया	1झ					
	ञ	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज) (प्रत्येक संपत्ति का विवरण अलग से भरे)	1ञ					
	2	आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो *	2					
	3	"गृह संपत्ति से आय " शीर्ष के अधीन आय (1ज + 2) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का अंक 2झ लें)	3					
टिप्पण ▶	किरायदार की स्थायी खाता संख्या/ आधार सं. देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झख के अधीन कर की कटौती की गई है।							

किरायदार का टीएन देना आज़ापक है, यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती की गई है।

अनसूची पूंजी अभिलाभ		पूंजी अभिलाभ									
क अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एस टी सी जी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)											
पूंजी अभिलाभ	क	1 विक्रय / अर्जन की तारीख		दिन /मास /वर्ष	बिक्री/अंतरण की तारीख	दिन /मास /वर्ष					
		क i	प्राप्त/ प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		का						
		ii	स्टॉक मूल्यांकन प्राधिकारीके अनुसार संपत्ति का मूल्य		क ii						
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [यदि (कii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (का) के रूप में लें या अन्यथा (कii) के रूप में लें]		क iii						
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ								
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख i						
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		ख ii						
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय		ख iii						
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)		ख iv						
		ग	तुलन (क iii - ख iv)		1 ग						
		घ	धारा 54 छ /54 छ क के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरें विनिर्दिष्ट करें)		1 घ						
		ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)		क 1 ड	fgh					
		च	अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)								
		अल्पकालिक पूंजी लाभ	क	क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं के नाम	क्रेता(क्रेताओं का पैना/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य
				टिप्पण ▶	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है या खरीदार द्वारा दस्तावेजों में इसका उल्लेख किया जाता है, तो पेन/आधार नंबर देना अनिवार्य है। एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें						
2 स्लम्प बिक्री से											
क i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2का							
ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2कii							
iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)			2कiii							
ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य (प्ररूप 3गड.क का 6(ड.))			2 ख							
ग	स्लम्प की बिक्री से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2कiii - 2ख)									क 2 ग	
3 ईकटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ)उन्मुख ईकटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii)(ख) के परन्तुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है (जहां क4 लागू नहीं है)											
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			3 क							
ख धारा 48 के अधीन कटौतियाँ											
i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i							
ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii							
iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ख iii							
iv	योग (i + ii + iii)			ख iv							
ग	शेष (3 क - ख iv)		3 ग								

		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि - उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ		
		ड साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ड +3 घ)	क 3 ड		
	4	अनिवासियों के लिए जो एफ आ ई आ ई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांश के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)			
		क धारा 111क के अधीन आने वाले संव्यवहारों पर एसटीसीजी	क 4 क		
		ख क्रम संख्या 4क में शामिल न किए गए शेयरों की बिक्री या डिबेंचर की बिक्री से एसटीसीजी	क 4 ख		
	5	अनिवासियों की दशा में -धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)			
		क i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	क		
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग		
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii		
		iii कुल (ग + ii)	क iii		
		ख धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv योग (i + ii + iii)	ख iv		
		ग शेष (5 क iii - ख iv)	5ग		
		घ धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि - उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ		
		ड साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ड +3 घ)	क 5 ड		
	6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
		क i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	क		
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग		

			ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii	
			iii कुल (iग + ii)	क iii	
			ख धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
		iv	योग (i + ii + iii)	ख iv	
		ग	शेष (6 क iii - खiv)	6 ग	
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि-उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ	
			अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)	6 ङ	
		च	धारा 54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6 च	
		छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसीजी (6 ग + 6 घ + 6 ङ - 6 च)	क 6छ	
		7	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		
		क	क्या नीचे दिए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएँ		
		क्र. सं.	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
		i	2022-23	54छ /54छक	
		ii	2023-24	54छ /54छक	
		iii	2024-25	54छ /54छक	
		ख	धारा 54छ /54छक के तहत अल्पकालिक पूंजी लाभ मानी गई राशि, 'क' से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई कुल राशि (Xi + Xii + Xiii + ख)		
		8	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8क1 + क8कii + क8ख + क8ग)		
		क	20% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		क8क
		ख	30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		क8ख
		ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		क8ग

	9 क 1 - क 8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य धन का दावा नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है (केवल अनिवासियों पर लागू)										
	क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है	क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	क	डीटीए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर के दावे की कुल राशि									क9क
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीजीटी की कुल रकम									क9ख
	क(क)	शेयरों की पुनर्खरीद पर पूंजीगत हानि [अल्पकालिक पूंजी हानि @20% / 30% / लागू दर] (केवल तभी दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22)(च) के तहत संबंधित लाभांश आय अनुसूची गण्ड के 1कiii या क्र.सं. 2ग/2घ में प्रस्तुत किये जाते हैं)									क(क)
	10	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क 1 ड + क 2 ग + क 3 ड + क 4 क + क 4ख + क 5 ड + क 6 छ + क 7 + क 8 - क 9क + क(क))									क 10

	ख दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (अनिवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7 लागू नहीं)											
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ	1 भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के ब्यौरे पृथक रूप से भरें)										
		विक्रय / अर्जन की तारीख		दिन /मास /वर्ष			बिक्री/अंतरण की तारीख		दिन /मास /वर्ष			
		क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य				का				
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				काii				
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (का) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]				काiii				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ									
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i				
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				खii				
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii				
		iv	योग (खा + खाii + खाiii)				ख iv					
	ग	शेष (क iii - ख i v)				1 ग						
	घ	धारा 54 घ/ 54 डग/ 54 छ /54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				1 घ						
	ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)				ख1ड						
	च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें)										
		क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन / आधार नं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य			
	टिप्पण	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ आधार नं. देना अनिवार्य है । ▶ एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।										
	छ	अचल संपत्ति पर कुल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (ख1ड.)				ख1छ						

22	22	2	स्लम्प बिक्री से				
222		क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कi		
			ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii		
			iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य(क i या क ii का अधिकतम)	2कiii		
		ख		वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य (प्ररूप 3गड.क का 6(ड.))	2ख		
		ग		शेष (2कiii - 2 ख)	2ग		
		घ		धारा 54डग के अधीन कटौती	2घ		
		ड		स्लम्प के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2 घ)	ख 2 ड		
		3		धारा 112(1) के अनुसार सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (इकाई के अतिरिक्त) या शून्य कूपन बांड की बिक्री से			
		क		प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क		
		ख		धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
			iv	कुल (खाक + खiiक + खiii)			
		ग		पूर्वोक्त ख 3 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (3क - ख iv)	ख3ग		
	44	4		किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है			
				ख4 पर पूंजीगत आस्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ		ख4	
		5		अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के असूचीबद्ध शेयरों या सूचीबद्ध डिबेंचरों की विक्रय से(धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)			
				असूचीबद्ध शेयरों या सूचीबद्ध डिबेंचरों पर सूचीकरण लाभ के बिना गणना की गई एलटीसीजी		ख5	
		6		अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विदिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा I)			
		क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
			क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	i क		
			ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
			ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii		
			iii	कुल (iग + ii)	क iii		
		ख		धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		

			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv					
		ग		अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 6 पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6क iii - 6ख iv)	ख 6ग					
		7		एफआईआई/एफपीआई (गैर-निवासियों) के लिए - किसी कंपनी में इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिण्टेड फंड की यूनिट या किसी बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से, जिस पर धारा 115कघ के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी का भुगतान किया जाता है।	ख 8					
				ख 7 पर पूंजीगत आस्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ			ख 7			
		8		आस्तियों के विक्रय से जहाँ ऊपर ख 1 से ख 7 लागू नहीं होते हैं						
			क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:					
				क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	क				
				ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख				
				ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग				
				ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii				
				iii	कुल (ग + ii)	क iii				
			ख		धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
				i	सूचीकरण के बिना अधिग्रहण की लागत	ख i				
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
				iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii				
				iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv				
			ग		अतिशेष (क iii- खiv)	8 ग				
			घ		धारा 54घ/धारा 54छ/धारा 54जक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8 घ				
			ङ		ऊपर ख 8 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (8ग - 8घ)			ख 8ङ		
		9		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि						
			क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है						
				<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं						
				क्रम संख्या	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई	पूर्ववर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई

			1	2	3	4	5	6	7	8
i	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)			(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*+ अ(अ))	(अ5ड*+ अ8ख*+ अ(अ))	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*+ अ(अ))	अ9ख	(आ1छ*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ4*+आ5*+ आ6ग*+ आ7*+ आ8ड*+ आ9*+ आ10क1*+ आ10क2*+ आ(क))	आ11ख	
ii		20%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*+ अ(अ))							
iii		30%	(अ5ड*+ अ8ख*+ अ(अ))							
iv	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*+ अ(अ))							
v		डीटीएए दर	अ9ख							
vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	12.5%	(आ1छ*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ4*+आ5*+ आ6ग*+ आ7*+ आ8ड*+ आ9*+ आ10क1*+ आ10क2*+ आ(क))							
vii		डीटीएए दर	आ11ख							
viii	मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii)									
ix	मुजराई के बाद शेष हानि (i - viii)									

च पूंजी अभिलाभ की प्रोद्धवन / प्राप्ति के बारे में जानकारी							
क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार/ तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 तक (ii)	16/9 से 15/12 तक (iii)	16/12 से 15/3 तक (iv)	16/3 से 31/3 तक (v)	
1	20 प्रतिशत की दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ						
2	30% की दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ						
3	लागू दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ						
4	डी टी ए ए दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ						
5	12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ						

6	डी टी ए ए दर पर कर योग्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
7	30% की दर पर वर्चुअल डिजिटल आस्ति के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ(अनुसूची धड़ की मद 16ख से मूल्य प्रविष्टि करें, यदि कोई हो					

अनुसूची वी.डी.ए		धारा 115खखज आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय टिप्पण: प्रत्येक अंतरण का ब्योरा भरा जाएगा जिसमे प्रत्येक स्थानांतरण अंतरित किया जाता हो				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	शीर्ष जिसके अधीन आय पर कर लगाया जाना है /अल्पकालिक (दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत (उपहार के मामले में) (2)56 धारा (क)x के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया जाना है किसी अन्य मामले में (ख) पिछले स्वामी की लागत ।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आय हानि के मामले में (शून्य दर्ज करें 6 स्तंभ)– स्तंभ (5
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
क. कुल (स्तंभ (की समस्त सकारात्मक कारबार आय की राशि 7)						(अनुसूची बी. पी की मद सं. क 3घ)
ख. कुल (स्तंभ (में पूंजीगतलाभ की समस्त सकारात्मक आय राशि 7)						(अनुसूची सी जी की मद सं. ग2)

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय	
1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)		1
क	लाभांश, सकल (का+कii+क iii)	1क	
	i (ii) और (iii) के अलावा लाभांश आय	काi	
	ii धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय	काii	
	iii धारा 2(22)(च) के अधीन लाभांश आय	काiii	
ख	ब्याज, सकल (खाi + खii + खiii + खiv)	1ख	
	i बचत बैंक से	खi	
	ii निक्षेपों से (बैंक/डाकघर/सहकारी/ सोसाइटी/)	खii	
	iii आयकर प्रतिदाय से	खiii	
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv	
	v अन्य जिसमें कंपनियों, एन बी एफ सी और एच एस सी के ब्याज भी सम्मिलित है	खv	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56(2) (भ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घा + घii + घiii + घiv + घv)	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का सकल मूल्य	घा	
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घii	
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घiii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv	
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv	
ङ	कोई अन्य आय (अलग प्रकृति)	1 ङ	
	क्रं सं.	प्रकृति	राशि

	1.	धारा 10 के खंडों के अधीन छूट की अस्वीकृति के कारण आय				
	2.	पिछले वर्ष के दौरान किसी बिज़नेस ट्रस्ट से किसी यूनिट होल्डर को प्राप्त कोई भी निर्दिष्ट राशि, धारा 56(2)(xii) के तहत कर योग्य होगी।				
		यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं				
	ड2	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				1ड
2		विशेष दरों पर प्रभार्य आय(2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्र.सं. 1 से संबंधित तत्व)				2
	कi	लॉटरी, वर्ग पहली आदि जीतने से हुई आय				2कi
	कii	ऑनलाइन खेलों से होने वाली जीत धारा 115खख के तहत कर योग्य है।				2कii
	ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)				2ख
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi			
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii			
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii			
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv			
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv			
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi			
	ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गi से गxiv का योग)				2ग
	i	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य अनिवासी या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गi			
	ik	115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में यूनिट से किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गik			
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त विदेशी करेंसी पर ब्याज	गii			
	iii	धारा 115क(1)(क)(iik) के अधीन प्रभार्य अवसंरचनात्मक ऋण निधि	गiii			
	iv	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	गiv			
	v	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	गv			
	vi	धारा 115क(1)(क)(iikख) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज	गvi			
	vii	संवितरित आय जो धारा 115क(1)(क)(iikग) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठकक में निर्दिष्ट ब्याज है	गvii			
	viii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में ऋण की गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई की यूनिटों या अन्य पारस्परिक आय	गviii			
	ix	धारा 115क(1)(ख) के अधीन प्रभार्य सरकारी या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस से आय	गix			
	x	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बॉन्ड के लाभांश पर आय	गx			
	xi	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	गxi			
	xii	धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों के संबंध में (धारा 115कख में युनिटों से भिन्न) किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय	गxii			
	xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य	गxiii			
	xiv	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	गxiv			

		xv	धारा 194ठग (1) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अनिवासी द्वारा प्राप्त आय धारा 115क(1)(क)(iii)कक के अधीन 9 %से प्रभार्य	गxv								
	घ		विशेष दरों पर प्रभार्य के रूप में दावाकृत अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में पासधू आय (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए)							2 घ		
	ङ		ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम जो भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर प्रभार्य के रूप में दावाकृत है (नीचे की सारणी के स्तंभ 2 का योग)(केवल अनिवासियों के लिए लागू)							2 ङ		
		क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.1का, 1कiii, 1ख से 1घ, 2क, 2ग और 2घ जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा		आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
		I										
		II										
3			धारा 57 के अधीन कटौतियाँ (उन कटौतियों से भिन्न जो 2क, 2ख, 2ग, 2घ और 2ङ के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित हैं)									
		क	व्यय/कटौतियाँ ("ग" में इंदराज के अलावा)						3क			
		ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध, यदि आय "अनुसूची ओएस" की 1ग में प्रस्तुत की गई)						3ख			
		ग	धारा 57(1) के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क)(i) और/या 1(क)(ii) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज						3ग			
		गii	धारा 57(ii) के अधीन योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि						3गii			
		घ	योग						3घ			
4			धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम							4		
5			धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ							5		
6			सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (1 (डीटीए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद)- 3 + 4 + 5) (यदि कुछ नहीं है तो अनुसूची सीवाईएलए का अंक 4i ले)							6		
7			अन्य स्रोतों से आय (दौड़ने वाले घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2+6) (6 को शून्य प्रविष्ट करें, यदि नकारात्मक है)							7		
8			दौड़ने वाले घोड़ों के स्वामित्व और उनके रखरखाव के क्रियाकलाप से आय									
		क	प्राप्तियाँ						8क			
		ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ						8ख			
		ग	धारा 58 के अधीन कटौती नहीं की गई रकमें						8ग			
		घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ						8घ			
		ङ	बकाया (8क - 8ख + 8ग + 8घ)							8ङ		
9			"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय (7 + 8ङ) (8ङ को शून्य ले, यदि नकारात्मक हो)							9		
10			अन्य स्रोतों से आय के उदभूत/प्राप्ति होने के बारे में सूचना									
		क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक				
				(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)				
		1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लॉटरियों, क्रास वर्ड पहेली, दौड़, खेलों, जुए, बाजी आदि से जीत									
		2	धारा 115खख के अधीन आनलाइन गेम से जीत									
		3क	क्रम सं. 1क(i) में निर्दिष्ट लाभांश आय									
		3ख	क्रं. सं. 1क(iii) में निर्दिष्ट लाभांश आय									

	4	20% की दर पर धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अनुसार से भिन्न, धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन लाभांश आय (पीटीआई आय सहित)					
	5	10% की दर पर धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन लाभांश आय (पीटीआई आय सहित)					
	6	10% की दर पर धारा 115कग के अधीन लाभांश आय					
	7	20% की दर पर धारा 115कघ(1)(i) के अधीन लाभांश आय (धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) (पीटीआई आय सहित)					
	8	डीटीएए दरों पर प्रभार्य लाभांश आय					

अनुसूची ओए		साधारण	
		क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)	
1	कारबार या वृत्ति की प्रकृति	1	
2	शाखाओं की संख्या <input type="text"/>	2	
3	पूर्व वर्ष में लेखांकन की पद्धति <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> व्यापारिक <input type="checkbox"/> नकद	3	
4	क्या लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हाँ	4	
5	धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्व वर्ष में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव	5	
6	पूर्व वर्ष में लागू बंध स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति	6	
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर है तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें यदि बाजार दर है तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	ग	क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है (<input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	घ	धारा 145 क अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	6घ

अनुसूची - कारबार या वृत्ति		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना		
कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति		
	1	कर पूर्व लाभ आय और व्यय खाते के अनुसार कर से पूर्व लाभ (जैसा लागू हो)	1	
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2क	
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख	
	3	धारा 115खखज के तहत प्रभार्य अथवा आय के अन्य शीर्षों के तहत विचारणीय लाभ व हानि लेखा में जमा प्राप्तियां/आय	क	गृह संपत्ति 3क
			ख	पूजी अभिलाभ 3ख
			ग	अन्य स्रोत 3ग
गii			लाभांश आय 3गii	
गiii	लाभांश आय के अलावा 3गiii			

		घ	धारा 115खखज (के तहत अधिग्रहण की शुद्ध लागत, यदि कोई हो)	3घ	(अनुसूची वी.डी.ए की मद सं. क)		
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कड.			4क			
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है						
	क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क				
	ख	एओपी / बीओआई से आय का अंश	5ख				
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)					
	i		गि				
	ii		गii				
	iii	कुल (गि + गii)	5गiii				
	घ	कुल आय पर छूट (5 क + 5 ख + 5 ग iii)		5 घ			
6	बकाया बह (1-2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 3 च - 3 छ - 4क - 4ख - 5 घ)					6	
7	लाभ और हानि लेख में विकलित व्यय आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा।		क	स्वामित्व संपत्ति	7 क		
			ख	पूंजी अभिलाभ	7ख		
			ग	अन्य स्रोत	7ग		
			घ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की कीमत के अलावा)			
8	कुल (7क + 7ख + 7ग)			8			
9	समायोजित लाभ या हानि (6 + 8)					9	
10	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण					10	
11	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण						
	i	धारा 32 (1)(ii) के और धारा 32(1) (iiक) अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण		11i			
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आयकर नियम का परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करे)		11ii			
	iii	कुल (11i + 11ii)		11iii			
12	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (9 + 10 - 11iii)					12	
13	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			13			
14	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			14			
15	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			15			
16	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			16			
17	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा--43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं			17			
18	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज			18			
19	धारा 41 के अधीन समझी गई आय			19			
20	धारा 32कग / 32कघ / 33कख / 33कखक / 35कखख / 32 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क के अधीन समझी गई आय			20			
21	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय			21			
22	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें			22			
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)			23			
24	कुल (13+14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23)			24			
25	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती			25			
26	धारा 32कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम			26			
27	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (यदि धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 23 में जाएगी)			27			

		समायोजित की जाने वाली हानि							
i		गृह संपत्ति							
ii		कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)							
iii		सट्टेबाजी से आय							
iv		धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय							
v		20 प्रतिशत की दर से कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ							
vi		30 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ							
vii		अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुप्रयुक्त दरों पर							
viii		डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ							
ix		12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ							
x		डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ							
xi		अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (घुड़दौड़ एवं लौटरी से जीत पर लाभ को छोड़कर)							
xii		दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ							
xiii		डीटीए के अनुसार भारत में अन्य स्रोतों से विशेष दर पर कर योग्य आय							
xiv		मुजरा की गई कुल हानि							
xv		मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि							

अनुसूची पीटीआई

धारा 115प, 115पक और 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115प /115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश सत्ता	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू	निवल आय/क्षति 9=7 -8	ऐसी रकम पर स्तौत पर कर
---------------------	------	--	-----------------------------------	-------------------------------	------	-------------	--------------	------------------------------	----------------------	------------------------

			स्थायी खाता संख्या				वर्ष क्षति का हिस्सा		कटौती , यदि कोई हों					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)				i	गृह संपत्ति								
					ii	पूँजी अभिलाभ								
					क	अल्पकालि क अवधि								
					का	धारा 111क								
					का i	अन्य								
					ख	दीर्घकालिक अवधि								
					खा	धारा 112क								
					खा i	112क से भिन्न धाराएं								
					iii	अन्य स्त्रोत								
					क	लाभांश								
					ख	अन्य								
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी								
					क	धारा के अधीन								
					ख	धाराके अधीन								
					ग	धारा.....के अधीन								
					2.						पंक्तियां जोड़े			
										i	गृह संपत्ति			
ii	पूँजी अभिलाभ													
क	अल्पकालि क अवधि													
का	धारा 111क													
का i	अन्य													
ख	दीर्घकालिक अवधि													
खा	धारा 112क													
खा i	112क से भिन्न धाराएं													
iii	अन्य स्त्रोत													
क	लाभांश													
ख	अन्य													
iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी													
क	धारा के अधीन													
ख	धाराके अधीन													
ग	धारा.....के अधीन													
											पंक्तियां जोड़े			

क्र. सं.	धारा	☑	विशेष दर	आय (i)	उस पर कर (ii)
			(%)		
1	111क (जहां एस.टी.टी संदत्त किया गया है वहां शेरों पर एस.टी.सी.जी)	☐	20		
2	115कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30		
3	112(1) (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/इकाईयों पर एलटीसीजी)	☐	12.5		
4	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी या सूचीबद्ध डिबेंचर के सिवाय)	☐	12.5		
5	115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी)	☐	12.5		
6	115कग(बॉन्ड/जीडीआर पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी)	☐	12.5		
7	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एलटीसीजी)	☐	12.5		
8	112(अन्य पर एलटीसीजी)	☐	12.5		
9	112क (कारबार न्यास की साधार शयरोन्मुख निधि/ यूनिटों के साधारण शयरो/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी, जिस पर एस.टी.टी संदत्त किया जाता है)	☐	12.5		
10	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एसटीसीजी	☐			
11	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एलटीसीजी	☐			
12	धारा 115कग (अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बॉण्डस या विदेशी करन्सी में क्रय किया गये लाभांश से आय)	☐	10		
13	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर या बाण्डस के लाभांश पर आय	☐	10		
14	115 खख (लाटरी, पहेली, दौड़ों, खेल आदि से जीत)	☐	30		
15	115खखज (आनलाइन गेम से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओ.एस का 2कii)	
16	115खखज आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर				
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	☐	30	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय	☐	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
17	115 खखड़ (धारा 68,69,69क,69ख,69ग, या 69घ के अधीन आय)	☐	60		
18	विशेष दर पर कोई अन्य आय (झापडाउन प्रदान किया जाना है)	☐		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)	
19	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय	☐		(अनुसूची ओ.एस के 2ड का भाग))	
20	20% की दर पर प्रभार्य अल्प कालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय	☐	20		
21	30 % की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृतिकी पासथ्रू आय	☐	30		
22	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय	☐	12.5		
23	धारा 112क से भिन्न 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	12.5		
24	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति में पासथ्रू आय	☐		(अनुसूची ओएस का 2घ)	
	योग				

अनुसूची 115नघ	धारा 115नघ के अधीन अभिवर्धित आय [अनुप्रयोज्य यदि छूट का दावा धारा 11 तथा 12 निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा 10(23 ग (iv)/ 10(23 ग (v)/ 10(23 ग (vi)/ 10(23 ग (vi)क)]		
1	निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य	1	
2	घटाएं— निर्दिष्ट व्यक्ति का कुल दायित्व	2	
3	आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2)	3	

4	(i)	धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य अर्जित प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की एफ.एम.वी	4i		
	(ii)	12कख या धारा 10(23ग) के दूसरे परंतुक के अधीन सृजन या स्थापन की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख/ अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन की तारीख तक की अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफ.एम.वी., यदि क्रमशः धारा 11 और धारा 12 या 10(23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/ 10(23ग)(vii)के अधीन फायदा उक्त अवधि के दौरान दावा नहीं किया गया है	4ii		
	(iii)	धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार अंतरित आस्तियों का एफ.एम.वी	4iii		
	(iv)	कुल (4i + 4ii + 4iii)			4iv
5	उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की बाबत दायित्व				5
6	धारा 115नघ [3-(4iv-5)] के अनुसार अभिवृद्धि आय				6
7	अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर				7
8	115नघ के अधीन संदेय ब्याज				8
9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट ऋण				9
10	अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज				10
11	आय और संदत्त ब्याज				11
12	संदाय/प्रत्यर्पणीय (10 - 11)				12
13	अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख	तारीख 1 दिन/मास/वर्ष	तारीख 2 दिन/मास/वर्ष	तारीख 3 दिन/मास/वर्ष	
14	बैंक और शाखा का नाम				
15	बीएसआर कोड				
16	चालान की क्रम संख्या				
17	जमा की गई रकम				

अनुसूची - खखख धारा 115खखख के अधीन कतिपय संस्थाओं की निर्दिष्ट आय

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	रकम
1	धारा 10(23ग) या धारा 11(3) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट समझी गई आय	1 < अनुसूची झ के स्तंभ 15 का कुल >
2	धारा 11(1ख) के अधीन आय	2 < अनुसूची घ के स्तंभ 8 का कुल >
3	धारा 10(23ग) के इक्कीसवें परंतुक के अधीन आय जिसे आय माना जाए जो कि धारा 13(1)(ग) के अनुसार कुल आय से निकाली जाए	3
4	आय जो धारा 10(23ग) के धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के उल्लंघन के कारण छूट प्राप्त नहीं है अथवा जो कि धारा 13(1)(घ) के अनुसार कुल आय से घटाई गई हो।	4
5	11(1)(ग) के अनुसार कुल आय से नहीं घटाई गई आय	5
6	संचित आय आय से 15 प्रतिशत आधिक्य से पृथक करके जब ऐसा संचयन इस अधिनियम के निर्दिष्ट उपबंधों के आनुज्ञेय नहीं हो	6
7	कुल (कुल क्रम सं. 1 से 6)	7

अनुसूची एफएसआई

भारत के बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)

भारत से बाहर होने वाली आय और	क्र. सं.	देश का कोड (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रॉप डाउन)	कर संदायकर्ता की पहचान संख्या	क्र. सं.	आय के शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भाग ख-टीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर कर संदेय	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)(ग) या (घ) जो भी कम हो	यदि धारा 90 या धारा 90क के अधीन राहत कर दावा किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	
1				i	गृह संपत्ति					

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							रकम	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
							(7)	(8)	(9)
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

अनुसूची एस.एच		असूचीबद्ध कंपनी की शेयर धृति									
यदि आप असूचीबद्ध कंपनी हैं तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें :-											
पूर्ववर्ष के अंत में शेयरधृति के ब्यौरे											
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	अर्जन की तारीख	धारित शेयरों की संख्यां	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम			
पूर्ववर्ष के अंत में आबंटन लंबित रहते हुए साधारण शेयर आवेदन धनराशि के ब्यौरे											
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	आवेदन की तारीख	आवेदित शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन की धनराशि	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गम कीमत			
शेयरधारकों के ब्यौरे जो पूर्ववर्ष के अंत में शेयर धारक नहीं हैं किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय शेयर धारक थे											
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	धारित शेयरों की संख्यां	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम	अर्जन की तारीख	तारीख जिसको वह शेयरधारक नहीं रहता है	अस्तित्वहीन होने की रीति	अंतरण की दशा में शेयरधारक की स्थायी खाता संख्या

भाग -ख

भाग ख- कुल आय		तारीख 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण								
आय का विवरण	भाग ख1 - अनुप्रयोज्य यदि धारा 11 तथा 12 या धारा 10 (23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/ 10(23ग)(vi)क के अधीन छूट का दावा किया गया है तथा जब भाग ख3 अनुप्रयोज्य नहीं हो									
	1	धारा 115खखग के अधीन स्वैच्छिक अभिदाय और अनाम संदान (कॉर्पस से भिन्न) [अनुसूची वी सी का (ग- का- खा+ड.)]							1	
	2	धारा 115 खखग के अधीन अनाम संदान से भिन्न कॉर्पस का भाग बन रहा स्वैच्छिक अभिदाय [अनुसूची भाग ख - कुल आय भाग ख 1 के (क + ख)]							2	
	क	धारा 80छ (2)(ख) के अधीन अधिसूचित स्थानों के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए प्राप्त कॉर्पस प्रतिनिधित्व दान [अनुसूची वी.सी का कां क + खां क]				क				
	ख	उपर्युक्त से भिन्न कॉर्पस [अनुसूची वीसी का कां क + खां क]				ख				
	3	उपरोक्त 1 में सम्मिलित अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान व्युत्पन्न धारा 11, धारा 12 और धारा 10 (23ग)(iv), 10(23ग)(v), 10(23ग)(vi) तथा 10(23ग)(vi)क में निर्दिष्ट कुल आय (अनुसूची ए आई का 10)							3	
	4	धारा 11(1)(ग) के अधीन छूट योग्य राशि							4	
	क	बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन संख्या				क				
ख	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि				ख					
5	अनुप्रयुक्त आय (1+3-4 (क1- अनुसूची क का क1क))							5		
6	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोजन :-									

	i	गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकम (उधार निधि से अनुप्रयुक्त निकालकर, डीमड आवेदन, 15% इत्यादि तक पूर्ववर्ती वर्ष संचयन जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की आय से नहीं है। [अनुसूची क से क्रम सं. छ]	6i	
	ii	गत वर्ष के दौरान ऋण का पुर्नभुगतान - [अनुसूची जे की सारणी क2 की क्रम सं. 4]	6ii	
	iii	गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकम कॉर्पस निधि के निर्दिष्ट मोड में वापस निवेशित या जमा (न्यास या संस्था के वस्तुओं के लिए कोष अनुप्रयोग पर पहले अननुज्ञात) निवेशित और वापिस जमा, एक या अधिक प्ररूप में या धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट मोड में ऐसे कॉर्पस के लिए विशिष्ट रूप से, उस वर्ष को आय से ऐसे निवेश या जमा की सीमा तक [अनुसूची जे की सारणी एआई का क्रम सं. 4]	6iii	
	iv	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूची घ के स्तंभ 2 में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त समझी गई रकम	6iv	
	क	यदि उपर्युक्त (iv) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं.9क देने का विकल्प है	6ivक	
	ख	यदि हां, प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	6ivख	
	v	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोजन के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (1+3) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित -(अनुसूची क का क1)]	6v	
	vi	उपर्युक्त v में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त रकम-संचित या अलग हटा के, निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ -यदि धारा 11(2) और 11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक की सभी शर्तें पूरी की जाती है। <एफ वाई 2025-26 के लिए अनुसूची आई का स्तम्भ 2>	6vi	
	क	यदि उपरोक्त (vi) लागू है, तो क्या प्ररूप संख्या 10 निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है	क	
	ख	यदि हां, तो प्ररूप संख्या 10 प्रस्तुत करने की तारीख (दिन / मास /वर्ष)	ख	
	vii	कुल [6i + 6ii+ 6iii+ 6iii+ 6iii+ 6iv+ 6v+ 6vi]	6vii	
7	जोड़ें			
	i	धारा 115खखझ के अधीन प्रभार्य आय < अनुसूची 115खखझ के क्रम सं. 7 का कुल >	7i	
	ii	धारा 11 के अधीन आय के संबंध में छूट अनाम संदान होने के कारण उपलब्ध नहीं है। (अनुसूची वी.सी का घiii)	7ii	
	iii	धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय	7iii	
	iv	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40(क)(िक) या 10(23ग) अ.सा.प 40(क)(िक)	7iv	
	v	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40अ(3)/(3अ) या 10(23ग) अ.सा.प 40अ(3)/(3अ)	7v	
	vi	धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	7vi	
	vii	धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार	7vii	
	viii	कोई अन्य आय जिस पर आयकर अधिनियम के अधीन छूट अननुज्ञेय है	7viii	
	ix	कुल [7i + 7ii+ 7iii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii+ 7viii]	7ix	
8		धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय	8	
9		धारा 11/10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(vi)के अधीन छूट के पश्चात् सकल आय [(5-6vii)+ 7ix + 8]	9	
10		उपर्युक्त मद सं 9 का भाग नहीं बनने वाली आय		
	i	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची एचपी का 3) (यदि हानि शून्य भरे)	10i	
	ii	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की मद सं घ48 के अनुसार)	10ii	
	iii	शीर्ष पूंजी अभिलाभ के अधीन आय		
	क	अल्पकालिक	10iiiक	
	कi	20 प्रतिशत की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 8(ii))	कi	
	कii	30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(iii))	कii	
	कiii	दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(iv))	कiii	
	कiv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(v))	कiv	
	कv	कुल अल्पकालिक (कi+कii+ कii + कiii + क iv) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	कv	

	ख	दीर्घकालिक	10iiiख
	खा	12.5 प्रतिशत की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का (8vi))	खा
	खii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(vii))	खii
	खiii	कुल दीर्घकालिक (खा + खii +) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	खiii
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ राशि (कv + खiii) (यदि हानि हो शून्य भरें)	10iiiग
	घ	धारा 115खख के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजी अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	10iiiघ
	ङ	कुल पूंजी अभिलाभ (ग + घ)	10iiiङ
	iv	अन्य स्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 9 के अनुसार)	10iv
	v	कुल (10i + 10ii + 10iiiङ + 10iv)	10v
11	सकल आय [9+10]		11
12	चालू वर्ष में 10v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xv, 3xv and 4xv का/योग)		12
13	कुल आय[11-12]		13
14	ऐसी कुल आय जिसे 13 में सम्मिलित किया गया और विशेष दरों पर कर से प्रभार्य है (अनुसूची एसआई स्तंभ (i) का योग)		14
15	13 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खख के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा (अनुसूची वी.सी का घiii)		15
16	धारा 115खख के निर्दिष्ट प्रभार्य आय जिस पर 30% की दर से 13 में सम्मिलित कर लगाया जाना है (अनुसूची 115 खख की क्रम सं 7)		16
17	कुल आय पर सामान्य दरों से कर लगाया जाएगा(13-14-15-16)		17

भाग ख 2- यदि धारा 13क/13ख तथा धारा 10(21), 10(23क), 10(23कक), 10(23ख), 10(23ड.ग), 10(23ड.ड.), 10(29क), 10(23ग)(iii क ख), 10(23ग)(iii कग), 10(23ग)(iiiकघ), 10(23ग)(iiiकड), 10(23घ), 10(23घक), 10(23चख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट का दावा किया गया है।			
1	धारा 10(21), 10(23कक), 10(23ख), 10(23घ), 10(23घक), 10(23ड.ग), 10(23ड.घ), 10(23ड.ड.), 10(23चख) के 10(29क) 10(46), 10(46क), 10(46ख), 10(47), [अनुसूची आईई-1 का क्रम सं. 1] अधीन छूट योग्य राशि	1	
2	धारा 10(23क), 10(23ग)(iiiकख), 10(23ग)(iiiकग), 10(23ग)(iiiकघ), 10(23ग)(iiiकड.), 10(24) के अधीन छूट योग्य राशि [अनुसूची आईई-2 का क्रम सं 1 (पंक्ति क के लिए)] or { अनुसूची आईई-3 का क्रम सं 3 } या { अनुसूची आईई-4 का क्रम सं 3 }	2	
3	धारा 10(21) के साथ पठित धारा 11(3), के अधीन प्रभार्य आय [अनुसूची I के स्तंभ 15 का योग]	3	
4	राजनैतिक दल के मामले में धारा 13क के अधीन छूट का दावे के साथ आय	4	
5	निर्वाचन ट्रस्ट के मामले में धारा 13ख के अधीन छूट के दावे के साथ आय (अनुसूची ई टी के मद सं. 6vii)	5	
6	वर्ष के दौरान प्राप्त स्वेच्छिक अभिदाय/धारा 13क और 13ख के लिए लागू	6	
7	आय शीर्ष जो उपरोक्त का भाग नहीं है		
	i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एच पी का 3] (यदि हानि हो शून्य भरें)	7i
	ii	कारबार या वृत्ति का लाभ व अभिलाभ [अनुसूची बीपी के मद सं. 48 के अनुसार]	7ii
	iii	पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय	
	क	अल्पकालिक (अनुसूची पूंजी अभिलाभ का ए5)	7iiiक
	क i	20 प्रतिशत की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड का 8(ii))	क i ख
	क ii	30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(iii))	क ii
	क iii	दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(iv))	क iii
	क iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(v))	क iv
	क v	कुल अल्पकालिक (क i+ क i ख + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य भरें)	क v

	ख	दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी का बी 4) (यदि हानि हो शून्य भरें)	7iii ख		
	ख i	12.5 प्रतिशत की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 8Vi)	ख i		
	खii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(vii))	खii		
	ख iii	कुल दीर्घकालिक (ख iख + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य भरें)	ख iii		
	ग	कुल पूंजी अभिलाभ (क v+ ख (iii)) (यदि हानि हो शून्य भरें)	7iiiग		
	घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजी अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	7 घ		
	ङ	कुल पूंजी अभिलाभ (ग + घ)	7 ङ		
	iv	अन्य स्त्रोतों से आय [अनुसूची ओ एस की मद संख्या 9 के अनुसार]		7iv	
	v	कुल (7i + 7ii + 7iiiग + 7iv)		7v	
8	सकल आय [6+7v-4-5] +3				8
9	7v के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली वर्तमान वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए की 2xv, 3xv और 4xv का योग)				9
10	सकल कुल आय (8-9)				10
11	आय जो 10 में शामिल है तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची एस आई के स्तंभ (i) का योग)				11
12	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय				12
13	कुल आय (10-11-12) [लागू यदि (10-11) अधिकतम रकम जो कर प्रभार्य नहीं है				13
14	अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय				14

भाग ख3- अनुप्रयोज्य यदि कुल आय धारा 10(23ग) या धारा 13(10) के बाइसवें परंतुक के अधीन कर प्रभार्य				
1. जनरल के भाग क के क्रम सं. अ(26) यदि हां तो धारा 10 के खंड 23(ग) या धारा 13 की उपधारा से भिन्न पूर्व बाइसवें परंतुक के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करें।				
1	क्रम सं.7 से भिन्न पूर्व वर्ष के लिए कुल आय			रकम रू. में
2	निर्धारित की वस्तुओं के लिए भारत में उपगत कुल व्यय			रकम रू. में
3	अननुज्ञात किए जाने वाला व्यय			
	(i)	ट्रस्ट या संस्था के नाम जमा कोष से व्यय, वित्तीय वर्ष के अंत पर तुरंत पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष सुसंगत निर्धारण वर्ष जिसके लिए आय की संगणना की जा रही है।		रकम रू. में
	(ii)	किसी ऋण या उधार से व्यय		रकम रू. में
	(iii)	आस्ति के संबंध में अवक्षयण, जिसका अर्जन आय के आवेदन के रूप में दावा किया गया, उसी वर्ष या अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में; तथा		रकम रू. में
	(iv)	किसी व्यक्ति को दान या योगदान के रूप में व्यय		रकम रू. में
	(v)	पूंजीगत व्यय		रकम रू. में
	(vi)	धारा 13 की उपधारा (10) या धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक), के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के स्पष्टीकरण या के अधीन अननुज्ञात रकम		रकम रू. में
	(vii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40क की उपधारा 3 के साथ पठित, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के स्पष्टीकरण या के अधीन अननुज्ञात रकम		रकम रू. में
	(viii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40 की उपधारा (3क) के साथ पठित, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक स्पष्टीकरण के अधीन अननुज्ञात रकम		रकम रू. में
	(ix)	कोई अन्य अननुज्ञात		रकम रू. में
	(x)	कुल व्यय जिसे अननुज्ञात किया जाना है (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)		रकम रू. में
4	योग			
	(i)	धारा 115खखझ के अधीन प्रभार्य आय <अनुसूची 115खखझ के क्रम सं. 7 का कुल>		रकम रू. में
	(ii)	धारा 11 के अधीन आय अनाम संदान के कारण जिसके संबंध में छूट उपलब्ध नहीं है। 11(अनुसूची वी.सी का घiii)		रकम रू. में

	(iii)	धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय	रकम रू. में
	(iv)	धारा 80छ(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	रकम रू. में
	(v)	धारा 80छ(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(23ग) के स्पष्टीकरण 1क के खंड (क) या (ख) या (ग) के उल्लंघन की दशा में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार आय	रकम रू. में
	(vi)	कोई अन्य आय, जिस पर आयकर अधिनियम के तहत छूट अनुमत नहीं है।	रकम रू. में
	(vii)	कुल योग (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	रकम रू. में
5		धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय	रकम रू. में
6		कुल राशि [(1-2+3x)+4vii+5]	रकम रू. में
7		उपर्युक्त में मद सं. 6 का आय भाग नहीं है	
	i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एचपी का 3] (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	ii	कारबार तथा वृत्ति का लाभ तथा अभिलाभ [अनुसूची बीपी के मद सं. घ48 के अनुसार]	रकम रू. में
	iii	पूँजीगत अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय	
		क अल्पकालिक	
	का	20 प्रतिशत की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड का 8(ii))	
	काii	@ 30% की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 8iii iv)	रकम रू. में
	काiii	अनुप्रयोज्य दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 8iv)	रकम रू. में
	काiv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 8v)	रकम रू. में
	कv	कुल अल्पकालिक (का+ क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	ख	दीर्घकालिक	
	खा	12.5 प्रतिशत की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 8Vi)	
	खाii	डी.टी.ए.के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 8vii)	रकम रू. में
	खाiii	कुल दीर्घकालिक (खा+ ख ii) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	ग	अल्पकालिक/ दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ राशि (क v + ख iii) (यदि हानि हो, शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	घ	धारा 115खख के अधीन @ 30% की दर से प्रभार्य पूँजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)	रकम रू. में
	ड	कुल पूँजीगत अभिलाभ (ग + घ)	रकम रू. में
	iv	अन्य स्त्रोतों से आय [अनुसूची ओ.एस के मद सं. 9 के अनुसार]	रकम रू. में
	v	कुल (7i+7ii+7iiiड +7iv)	रकम रू. में
8		7v के विरुद्ध वर्तमान वर्ष की हानियों का मुजरा है (अनुसूची सी.वाई.एल.ए के 2xv, 3xv और 4xv का योग)	रकम रू. में
9		कुल आय (6+7-8)	रकम रू. में
10		आय जो 9 में सम्मिलित की गई तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य है (अनुसूची एस.आई के स्तंभ (i) का योग)	रकम रू. में
11		धारा 115खख के अधीन @ 30% के दर से 9 में सम्मिलित अनाम संदान पर कर लगाया जाना है। (अनुसूची वी.सी का घiii)	रकम रू. में
12		धारा 115खख के अधीन @ 30% की दर से 9 में शामिल आय पर कर लगाया जाना है। (अनुसूची 115खख की क्रम सं. 9)	रकम रू. में
13		धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा(10) के अधीन कर प्रभार्य आय (9-10-11-12)	रकम रू. में

भाग ख- कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर		
	क सामान्य दरों पर कर [क्र. सं. (17) भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या [क्र. सं. (13-14) भाग-ख, कुल आय के भाग ख 2 के] या [क्र. सं. 13 , भाग ख- कुल आयके भाग ख 3 के]	1क	
	ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई के स्तंभ (ii) का योग	1ख	
	ग @ 30%की दर से धारा 115खख के अधीन अनाम संदान पर कर [क्र. सं. 15, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 11, भाग ख- कुल आयके भाग ख 3 के] अधीन	1ग	

	घ @ 30% की दर से 115खखझ के अधीन प्रभार्य आय पर कर [क्रम सं. 16, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 12, भाग ख- कुल आयके भाग ख 3]	1घ				
	ङ अधिकतम सीमांत दरों पर कर क्रम सं. 14, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1	1ङ.				
	च कृषि आय पर छूट [भाग 2 में अनुप्रयुक्त यदि (10-11) भाग ख- कुल आयअधिकतम राशि कर प्रभार्य से अधिक नहीं है।]	1च				
	छ कुल आय पर कर संदाय (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ-1च)			1छ		
2	अधिभार			3		
	i अनुसूची एसआई की "धारा 115खखड. के अधीन आय के स्तंभ (ii) का 25%	2i				
	ii पर (1छ -अनुसूची एसआई की "धारा 115खखड. के अधीन आय	2ii				
	iii कुल (i + ii)			2iii		
3	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1छ + 2iii)			3		
4	सकल कर दायित्व (1छ+2iii+3)			4		
5	कर राहत					
	क धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 2)	5क				
	ख धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)	5ख				
	ग कुल (5क+5ख)			5ग		
6	कुल कर दायित्व (4-5ग)			6		
7	संदेय फीस और ब्याज					
	क विवरणी प्रस्तुत करने के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	7क				
	ख अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	7ख				
	ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	7ग				
	घ आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234घ)	7घ				
	घक आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234झ)	7घक				
	ङ संदेय कुल ब्याज और फीस (7क+7ख+7ग + 7घ+7घक)			7ङ.		
8	कुल दायित्व (6+7ङ.)			8		
9	संदत्त कर					
	क अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	9क				
	ख स्त्रोत पर कर की कटौती (15ख के स्तंभ 9 से)	9ख				
	ग स्त्रोत पर कर का संग्रहण (15ग के स्तंभ 7i का कुल)	9ग				
	घ स्वतः कर निर्धारण (15क के स्तंभ 5 से)	9घ				
	ङ कुल संदत्त कर (9क+9ख+9ग+9घ)			9ङ		
10	संदेय रकम (यदि 9ङ, 8 से अधिक है तो प्रविष्ट करें अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)			10		
11	प्रतिदाय (यदि 9ङ, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)			11		
12	धारा 115नड. के अंतर्गत ब्याज सहित 115नघ आय पर संदेय कर (अनुसूची 115नघ का क्रम संख्या 12)			12		
13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (प्रतिदाय का दावा करने वाले ऐसे अनिवासी जिनका भारत बैंक में खाता नहीं है नहीं चयन करेंगे))				हां अथवा नहीं का चयन करें	
	क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमेट खातों को छोड़कर)					
बैंक खाता	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खातों का प्रकार (ई-फाइलिंग यूटीलिटी द्वारा दिए जाने वाला ड्रापडाउन)	प्रतिदाय जमा करने के लिए खाते का चयन करें (कम से कम एक खाते को <input checked="" type="checkbox"/> करें)
	i					<input type="checkbox"/>
	ii					<input type="checkbox"/>

टिप्पणः 1. डारमेट खाते के सिवाय, किसी समय में भरे गए सभी खातों (बैंक) का रिपोर्ट किया जाना 2. विविध खातों के चयनित होने के मामले में रिटर्न के प्रसंस्करण के पश्चात् वैध खातों में से किसी एक खाते में प्रतिदाय जमा किया जाएगा				
यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं				
ख) अनिवासी, अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:				
क्रं. सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश की अवस्थिति	आई.बी.ए.एन
14 क य आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हितधारी स्वामी, हितधारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं: या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)				
				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

15 कर संदाय													
क अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण के संदायों के ब्यौरे													
कर संदाय	क्र.सं.	बी.एस.आर कोड	जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)				चालान की क्रम संख्या				रकम(रु.) में		
	i												
	ii												
	iii												
	iv												
	v												
	vi												
टिप्पण ▶		भाग ख-टीटीआई की क्रम संख्या 9क और 9घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।											
ख	आय पर/स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप 16 क या प्रस्तुत प्ररूप 16ख/16ग/16घ/16ङके अनुसार]												
क्र.सं०	स्वयं/ अन्य व्यक्ति [नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति] से संबंधित जमा टीडीएस	अन्य व्यक्ति का पैन्/ आधार (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन्/ किराएदार/ क्रेता का पैन्/ आधार	धारा जिसके अधीन टीडीएस की कटौती की गई है	अग्रेषित अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तुत की गई तदनुसूची रिसीट/ आहरण	अग्रेषित टीडीएस क्रेडिट				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4क)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								आय टीडीएस		आय टीडीएस पैन्/ आधार			
i													
ग स्तत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा (संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार)													
क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और	अन्य व्यक्ति का	अग्रणीत अदावाकृत टी.सी.एस	चालू वित्त वर्ष का टी.सी.एस(वित्तीय वर्ष 2025-26 के	इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस	अग्रेषित टी.सी.एस जमा						

	जमा टी.सी.एस नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति	कर संग्रहण अकाउंट नंबर	पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	दौरान संग्रहित कर)		स्वयं संग्रहित किया	नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा संग्रहित किया (यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रणीत रकम					
(1)	2(i)	2(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	6(ii)	7(i)	7(ii)	(8)
i									टी.सी.एस	पैन
ii										
टिप्पण  कृपया भाग ख-टीटीआई के 9 में स्तंभ (7)(i) का योग भरें										

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसके साथ संलग्न विवरणी और अनुसूचियों, विवरणों आदि में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूरी है।
मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी अपनी की हैसियत में दे रहा/दे रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्यांक है (यदि आबंटित हुआ हो)।
मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख	स्थान	यहां हस्ताक्षर करें।"

[सं. 50/2026/फा. सं. 370142/10/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : आयकर नियम, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा. कानि. 230(अ), तारीख 30 मार्च 2026 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

G.S.R. 231(E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. (1) These rules may be called the Income-tax (SEVENTH Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force with effect from the 31st day of March, 2026 and shall apply in respect of returns filed for Assessment Year 2026-27.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix - II, for FORM ITR-7, the following FORM shall be substituted, namely: —

FORM	ITR-7	INDIAN INCOME TAX RETURN [For persons including companies required to furnish return under sections 139(4A) or 139(4B) or 139(4C) or 139(4D) only] (See rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)	Assessment Year							
			2	0	2	6	-	2	7	
Part A-GEN										
PERSONAL INFORMATION	(A1) Name (as mentioned in deed of creation/ establishing/ incorporation/ formation)				(A2) PAN					
	Addresses to be provided for communication purposes: Primary Address: (A4a) Flat/Door/Block No (A5a) Name of Premises/Building/Village (A6a) Road/Street/Post Office (A7a) Area/Locality (A8a) Town/City/District (A9a) State (A10a) Pin code/Zip code Secondary Address: (A4b) Flat/Door/Block No (A5b) Name of Premises/Building/Village (A6b) Road/Street/Post Office (A7b) Area/Locality (A8b) Town/City/District (A9b) State (A10b) Pin code/Zip code				(A3) Date of formation/incorporation (DD/MM/YYYY)					
					/ /		(A11) Status (see instructions)		(A12) Sub Status (see instructions)	
					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Details to be provided for communication purposes:									
	(A13) Office Phone Number with STD code/Primary Mobile No. of the taxpayer		(A14) Secondary Mobile No.		(A15) Primary Email ID of the taxpayer					
	(A16) Secondary Email ID									
	(A17) (i) Return furnished under section <input type="checkbox"/> 139(4A) <input type="checkbox"/> 139(4B) <input type="checkbox"/> 139(4C) <input type="checkbox"/> 139(4D)									
	(ii) Please specify the section under which the exemption is claimed (dropdown to be provided)									

(A18) Whether any project/institution is run by the assessee? (Yes/No) If Yes, then please furnish the details: Details of the projects/institutions run by you								
Sl.	Name of the project/institution		Nature of activity			Classification		
1								
2								
3								
4								
(A19) Details of registration/provisional registration or approval under the Income-tax Act (Mandatory, if required to be registered) (Where regular registration/approval has been granted, details of provisional registration/ approval are not required)								
Sl.	Section under which registered/provisionally registered or approved/notified	Date of registration/provisional registration or approval	Approval/ Notification/ Unique Registration No. (URN)	Approving/ registering Authority	Date from which registration/provisional registration/ approval is effective			
1	<i>(Dropdowns to be provided)</i>							
2								
(A20) Details of registration/provisional registration or approval under any law other than Income-tax Act (including the registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, registration on DARPAN portal of Niti Aayog and registration with SEBI)								
Sl.	Law under/Portal on which registered	Specify details in case 'Any other Law'	Date of registration or approval	Approval/ Notification/ Registration No.	Approving/ registering Authority	Date from which the registration is effective	Date up to which the registration is valid	
1	<i>(Dropdowns to be provided)</i>							
2								
FILING STATUS	(A21)	Return filed u/s (Tick)		<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- After Condonation of delay .				
	(ai)	Or filed in response to notice u/s		<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C				
	(b)	If revised/ defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)						__/__/__
	(c)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b), enter unique number/ Document Identification Number (DIN) and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement					(unique number)	__/__/__
	(d)	Residential status? (Tick) <input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-resident						
	(e)	Whether any income included in total income for which claim under section 90/90A/91 has been made? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <i>[applicable in the case of resident] [if yes, ensure to fill Schedule FSI and Schedule TR]</i>						
	(f)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -						
		(1)	Name of the representative assessee					
		(2)	Email-ID of the representative assessee					
		(3)	Contact number of the representative assessee					
(g)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information							
	Name of Firm			PAN				
(h)	Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 crores or more):							
	LEI Number		Valid upto date		(DD/MM/YYYY)			

(A22) Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
Name of company	Type of the company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance	
			No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

OTHER DETAILS														
(A23)	i	Where, in any of the projects/institutions run by you, one of the charitable purposes is advancement of any other object of general public utility then-												
	a	i	Whether there is any activity in the nature of trade, commerce or business referred to in proviso to section 2(15)?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
		ii	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts							%				
	b	i	Whether there is any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business for any consideration as referred to in proviso to section 2(15)?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
		ii	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts							%				
	ii	If 'a' or 'b' is YES, the aggregate annual receipts from such activities in respect of that institution												
		Sl.	Name of the project/Institution							Amount of aggregate annual receipts from such activities				
		a												
		b												
(A24)	i	Is there any change in the objects/activities during the Year on the basis of which approval/registration/provisional registration was granted?												
		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
	ii	If yes, please furnish following information:-												
		A	date of such change (DD/MM/YYYY)							___/___/___				
		B	Whether an application for fresh registration/provisional registration has been made in the prescribed form and manner within the stipulated period of thirty days as per Clause (ab) of sub-section (1) of section 12A / Sub-clause (v) of Clause (ac) of sub-section (1) of section 12A							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
		C	Whether fresh registration/provisional registration has been granted under section 12AB							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
		D	date of such fresh registration/provisional registration (DD/MM/YYYY)							___/___/___				
(A25)	Is this your first return?												<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
(A26)	Whether provisions of twenty second proviso to Section 10(23C) or Section 13(10) are applicable?												<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No

		If “Yes”, please furnish below information, whether:		
	(a)	Provisions of proviso to clause (15) of section 2 are applicable		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	(b)	Conditions specified in clause (a) of tenth proviso to 10 (23C) / sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A have been violated		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	(c)	Conditions specified in clause (b) of tenth proviso to 10 (23C) / sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A have been violated		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	(d)	Conditions specified in twentieth proviso to 10(23C)/ clause (ba) of sub-section (1) of section 12A have been violated		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
AUDIT INFORMATION	(A27)	(i) Are you liable for audit under the Income-tax Act? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No, If yes, furnish following information-		
		(ii) Section under which you are liable for audit (specify section). Please mention date of audit report. (DD/MM/YY)		
		a	Name of the auditor (proprietorship/ firm)	
		b	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the proprietorship/ firm	
		c	Date of furnishing of the audit report ____/____/____ (DD/MM/YYYY)	
	d	Acknowledgement number of the audit report		
	(A28)	(i) If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?		
		Act and section	(DD/MM/YY)	Act and section (DD/MM/YY)

MEMBER'S INFORMATION	(A29)	i. Particulars of persons who were members in the AOP on 31 st day of March, 2026 (to be filled by venture capital fund/ investment fund)					
		Sl. No	Name and Address	Percentage of share (if determinate)	PAN	Aadhaar Number	Status
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

							previous years' accumulation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2-4)	(6)	(7) = (5-6)	(8)
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
2024-25							
2025-26							
Total							

Year of accumulation (F.Yr.)	Amount applied for purposes other than the purpose for which such accumulation was made (if applicable)	Amount credited or paid to any trust or institution registered u/s 12AB or approved under sub-clauses (iv)/(v)/(vi)/(via) of clause (23C) of section 10 (if applicable)	Balance amount available for application	Amount invested or deposited in the modes specified in section 11(5) out of 11	Amount invested or deposited in the modes other than specified in section 11(5) out of 11 (if applicable)	Amount which is not utilized during the period of accumulation (if applicable)	Amount deemed to be income within meaning of sub-section (3) of section 11 (if applicable)
	(9)	(10)	(11) = (7-8-9-10)	(12)	(13)	(14)	(15) = (9+10+13+14)
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
2024-25							
2025-26							
Total							

Schedule IA		Details of accumulated income taxed in earlier assessment years as per section 11(3)				
FY	AY	Assessment year in which the amount referred at Col 6 of Schedule I was taxed (Figures in Rs.)				
	Year of accumulation (F.Yr.)	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E) (A+B+C+D)
	2020-21					
	2021-22					
	2022-23					

2023-24					
Total					

Schedule D		Details of deemed application of income under clause (2) of Explanation 1 to sub-section (1) of section 11.						
Year in which income is deemed to be applied (F.Yr.)	Amount deemed to be applied during the previous year of deeming	Reason of deeming application (a) income has not been received during that year (b) any other reason	Out of the deemed application claimed, amount required to be applied	Amount taxed in any earlier assessment year(s)	Out of the deemed application claimed, amount required to be applied during the financial year pertaining to current Assessment year	Amount of deemed application claimed in earlier years, applied during the financial year pertaining to current AY	Amount which could not be applied and deemed to be income u/s 11(1B) during the previous year	Balance Amount of deemed Income being exemption claimed in earlier years on account of deemed application and required to be applied in FY 2026-27 onwards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6-7)	(9) = (4-6)
<i>Dropdowns to be provided</i>		<i>Dropdowns to be provided</i>						
2025-26		<i>Dropdowns to be provided</i>						
Total								

Schedule DA		Details of accumulated income taxed in earlier assessment years as per section 11(1B)					
Assessment Year		Assessment year in which the amount referred at Col 5 of Schedule D was taxed (Figures in Rs.)					
Year of accumulation (F.Yr.)	Prior to AY 2022-23	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) (A+B+C+D+E)	
Prior to FY 2020-21							
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
Total							

Schedule J		Statement showing the funds and investments as on the last day of the previous year [to be filled by assessee claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]									
DETAILS OF INVESTMENT OF FUNDS	A	Details of corpus									
	1	Corpus Donation	Opening Balance as on 01.04.2025 (corpus not applied till 31.03.2025)	Received/Trusted as corpus during the year	Applied during the year	Amount invested or deposited back into corpus (which was earlier applied and not claimed as application)	Total amount invested or deposited back into corpus	Financial year in which (4) was applied earlier	Closing Balance as on 31.03.2026	Invested in modes specified in Sec 11(5) as on 31.03.2026	Amount taxed in earlier assessment years

A 2	Details of loan and borrowings							
	Opening Balance As on 01.04.2025	Loan & Borrowings taken for applications towards objectives during the year	Applied for the objects of the trust or institution during the year	Amount of repayment of loan or borrowing during the year (which was earlier applied and not claimed as application) where application from any loan or borrowing is made on or after 01.04.2021	Financial year in which (4) was applied earlier	Total Repayment of loan or borrowing during the year	Closing Balance as on 31.03.2026	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(1+2-6)	
B	Details of corpus investment/deposits made under section 11(5) as on 31.03.2026							
	Sl. No	Investment out of	Mode of investment as per section 11(5)		Amount of investment			
	(1)	(2)	(3)		(4)			
	i	Corpus representing donation donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) on or after 01.04.2020	Dropdown to be provided (Please specify the nature)					
	ii	Corpus other than (i) above received on or after 01.04.2021						
	iii	Other than (i) and (ii) above						
iv	TOTAL							
C	Investment held at any time during the previous year (s) in concern (s) in which persons referred to in section 13(3) and 21st Proviso of Section 10(23C) have a substantial interest							
	Sl. No.	Name and address of the concern	Whether the concern is a company (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>)	Number of shares held	Class of shares held	Total value of Investment	Income from the investment	Whether the amount in col (6) exceeds 5 percent of the capital of the concern during the previous year (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	ii		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	iii		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	iv		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	v		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
		TOTAL						
	D	Other investments as on the last day of the previous year						
Sl. No.		Name and address of the concern	Whether the concern is a company (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>)	Class of shares held	Number of shares held	Total Value of Investment		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
i			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					
ii			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					

	iii		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	iv		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	v		TOTAL			
E	Voluntary contributions/donations received in kind but not converted into investments in the specified modes u/s 11(5) within the time provided					
	Sl. No	Name and address of the donor	Value of contribution/donation	Value of contribution applied towards objective	Amount out of (3) invested in modes prescribed under section 11(5)	Balance to be treated as income under section 11(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	i					
	ii					
	iv	TOTAL				

Part A-BS		CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2026						
SOURCES OF FUNDS	A	Sources of Funds						
	1	Own Funds						
		a	Corpus out of the donations received for renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) on or after 01.04.2020			1a		
		b	Other corpus received on or after 01.04.2021			1b		
		c	Corpus other than (a) and (b)			1c		
		d	Income accumulated under third proviso to clause (23C) of section 10 or section 11(2)			1d		
		e	Balance Amount of deemed Income being exemption claimed in earlier years on account of deemed application and required to be applied in FY 2026-27 onwards			1e		
		f	Any other reserve (Specify the nature)					
			i	<i>Specify the nature</i>	i			
			ii	<i>Specify the nature</i>	ii			
			iii	Total (ai + aii)		1fiii		
		g	Total fund (a+ b+c+d+e+f)			1g		
		2	Loan and Borrowings					
			a	Secured loans	a			
			b	Unsecured loans (including deposits)	b			
			c	Total Loan Funds (a+ b)		2c		
	3	Advances					3	
	4	Sources of funds (1g + 2c +3)					4	
APPLICATION OF FUNDS	B	Application of funds						
	1	Fixed assets						
		a	Gross Fixed Assets			1a		
		b	Depreciation			1b		
		c	Net Fixed Assets (1a-1b)			1c		
		2	Investments					2
		3	Current assets, loans and advances					
		a	Current assets					
		i	Inventories		I			

	ii	Sundry Debtors		ii	
	iii	Cash and bank balances			
		A	Balance with banks	iiiA	
		B	Cash-in-hand	iiiB	
		C	Others	iiiC	
		D Total Cash and cash equivalents (iiiA + iiiB + iiiC)		iiiD	
	iv	Other Current Assets		iv	
	v	Total current assets (i + ii + iiiD + iv)		av	
	b	Loans and advances		B	
	c	Total (av + b)		C	
	d	Current liabilities and provisions			
	i	Current liabilities			
		A	Sundry Creditors	A	
		B	Other payables	B	
		C	Total (A + B)	iC	
	ii	Provisions		ii	
	iii	Total (iC + ii)		diii	
	e	Net Current Assets (3c – 3diii)		3e	
4	Accumulated balance/ Any other reserve (deficit)			4	
5	Total, application of funds (1+2+3e+4)			5	
6	Out of 5, Investment made in modes specified u/s 11(5)			6	
7	Out of 5, Investment made in modes other than specified u/s 11(5)			7	

Schedule R		Reconciliation of Corpus of Schedule J and Balance sheet		
Particulars	Corpus out of the donations received for renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) on or after 01.04.2020	Other corpus received on or after 01.04.2021	Corpus other than (1) and (2)	
	(1)	(2)	(3)	
A. Closing balance as on 31.03.2026 as per Schedule J				
B. Reasons of difference (+/-) (Bi+Bii+Biii)				
i) Purchase of fixed asset				
ii) Depreciation				
iii) Any other reason (Please specify)				
C. Closing balance as on 31.03.2026 as per Balance sheet (A+B)				

Schedule PP		Political Party	
POLITICAL PARTY	1	A) Whether registered under Section 29A of Representation of People Act, 1951	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	a	If yes, please enter registration number	
	b	Date of Registration	___/___/___
	B) Whether recognized by the Election Commission of India	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	a	If yes, date of recognition	

	2	Whether books of account were maintained? <i>(tick as applicable ☑)</i>	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
	3	Whether the accounts have been audited? <i>(tick as applicable ☑)</i>	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
		If yes, furnish the following information: -		
	a	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY)	___/___/___	
	b	Name of the auditor signing the audit report		
	c	Membership No. of the auditor		
	d	Name of the auditor (proprietorship/ firm)		
	e	Proprietorship/firm registration No.		
	f	Permanent Account Number (PAN) /Aadhaar No. of the auditor (proprietorship/ firm)		
	g	Date of audit report	___/___/___	
	4	Whether the report under sub-section (3) of section 29C of the Representation of the People Act, 1951 for the financial year has been submitted? <i>(tick as applicable ☑)</i>	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
	4a	If yes, then date of submission of the report (DD/MM/YYYY)	___/___/___	
	4b	Election Commission of India or State Election Commission to whom the report has been submitted	(Dropdown to be provided in the E-filing utility)	
	5	a Whether any voluntary contribution from any person in excess of twenty thousand rupees was received during the year ? <i>(tick as applicable ☑)</i>	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
		b If yes, whether record of each voluntary contribution (other than contributions by way of electoral bonds) in excess of twenty thousand rupees (including name and address of the person who has made such contribution) were maintained? <i>(tick as applicable ☑)</i>	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
	6	Whether any donation exceeding two thousand rupees was received otherwise than by an account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through electoral bond? <i>(tick as applicable ☑)</i>	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
	7	Please furnish the following information: -		
	a	Total voluntary contributions received by the party during the F.Y. (b+d)	7a	
	b	Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 20,000 during the F.Y.	7b	
	ci	Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 2,000 in cash during the F.Y.	7ci	
	cii	Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 2,000 other than in cash during the F.Y.	7cii	
	d	Aggregate value of all the voluntary contributions received more than Rs. 20,000/- during the F.Y.	7d	

Schedule ET		Electoral Trust		
ELECTORAL TRUST	1	Whether books of account were maintained? <i>(tick as applicable ☑)</i>	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
	2	Whether record of each voluntary contribution (including name, address and PAN of the person who has made such contribution along with the mode of contribution) were maintained? <i>(tick as applicable ☑)</i>	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
	3	Whether record of each eligible political party to whom the distributable contributions have been distributed (including name, address, PAN and registration number of eligible political party) was maintained? <i>(tick as applicable ☑)</i>	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
	4	Whether the accounts have been audited as per rule 17CA(12)? <i>(tick as applicable ☑)</i>	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
		If yes, date of audit report in Form No.10BC (DD/MM/YYYY)	___/___/___	
	5	Whether the report as per rule 17CA(14) furnished to the Commissioner of Income-tax or Director of Income-tax? <i>(tick as applicable ☑)</i>	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
	6	Details of voluntary contributions received and amounts distributed during the year		
		i	Opening balance as on 1 st April	i

	ii	Voluntary contribution received during the year	ii	
	iii	Total (i + ii)	iii	
	iv	Amount distributed to Political parties	iv	
	v	Amount spent on administrative and management functions of the Trust (Restricted to 5% of Sr.no. ii above OR 5 lakh for first year of incorporation and 3 lakh for subsequent years whichever is lesser)	v	
	vi	Total (iv + v)	vi	
	vii	Total amount eligible for exemption under section 13B (Sr.no. 6ii of schedule ET if Amount distributed in 6iv is 95% of 6iii)(As per rule 17CA)	vii	
	viii	Closing balance as on 31 st March (iii – vi)	viii	

Schedule VC		Voluntary Contributions (Donations Received) [to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7]				
A	Domestic Contribution (Other than anonymous donations taxable u/s 115BBC)					
	i	Corpus donation (Aia +Aib)		Ai		
	a	Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b)	Aia			
	b	Corpus other than above	Aib			
	ii	Other than corpus donation				
		(a)	Grants Received from Government	Aiia		
		(b)	Grants Received from Companies under Corporate Social Responsibility	Aiib		
		(c)	Other specific grants	Aiic		
		(d)	Other Donations	Aiid		
		(e)	Total	Aiie		
	iii	Voluntary contribution Domestic (Ai + Aiie)		Aiii		
	B	Foreign contribution (other than anonymous donations taxable u/s 115BBC)				
		i	Corpus donation (Bia + Bib)		Bi	
		a	Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b)	Bia		
		b	Corpus other than above	Bib		
		ii	Other than corpus donation		Bii	
		iii	Foreign contribution (Bi + Bii)		Biii	
		iv	Specify the purpose for which foreign contribution has been received		Biv	Free text box
	C	Total Contributions (Aiii + Biii)		C		
D	Anonymous donations, chargeable u/s 115BBC [Applicable to assessee claiming exemption u/s 11 or 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via) or 10(23C)(iiiad) or 10(23C)(iii ae)] [to be filled only by trusts other than those covered u/s 115BBC(2)]					
	i	Aggregate of such anonymous donations received		i		
	ii	5% of total donations received at Sl. No. C+Di or 1,00,000 whichever is higher		ii		
	iii	Anonymous donations taxable u/s 115BBC @ 30% (i – ii)		iii	{to be taken as nil, if negative}	
E	Anonymous donations other than those included at Sl. No. Diii (Di-Diü of Schedule VC)			E		

Schedule AI		Aggregate of income derived during the previous year excluding Voluntary contributions [to be filled by assesses claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]			
AGGREGATE OF INCOME	1	Receipts from main objects			1
	2	Receipts from incidental objects			2
	3	Rent			3
	4	Commission			4
	5	Dividend income			5
	6	Interest income			6
	7	Agriculture income			7
	8	Net consideration on transfer of capital asset			8
	9	Any other income (specify nature and amount)			
			Nature	Amount	
a		Pass through income/Loss (Fill schedule PTI)	a		
b			b		
c			c		
d			d		
	e	Total (9a+ 9b+ 9c +9d)		9e	
10	Total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+ 8 + 9)			10	

Schedule A		Amount applied to stated objects of the trust/institution during the previous year from all sources referred to in C1 to C7 of this table- [to be filled by assessee claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]			
		Amount			
A	Application towards the stated objects of the trust/institution	Revenue	Capital	Total	
1	Donation(s) made to trust or institution(s) registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)– Other than Corpus (100% of donations made need to be entered here)	1			
1a	85% of the donation(s) made to trust or institution(s) registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)– Other than Corpus	1a			
2	Religious	2			
3	Relief of poor	3			
4	Educational	4			
5	Yoga	5			
6	Medical relief	6			
7	Preservation of environment	7			
8	Preservation of monuments etc.	8			
9	General public utility	9			
10	Application which cannot be specifically identified under 1 to 9 above	10			
11	Cost of new asset for claim of Exemption u/s 11(1A) (restricted to the net consideration)	11			
12	Total (A1a to A11)	12			
B	Expenditure not allowed as application, other than application out of source of fund at C2 to C7 (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8) Note: Amount entered in Sl. No. B should be out of Sl. No. A	B			
1	Donation to trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) towards Corpus	1			
2	Donation to trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) other than towards corpus in case of donations out of accumulated income	2			

	3	Donation to trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) not having same objects	3		
	4	Donation to any person other than trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)	4		
	5	Application outside India for which approval as per proviso to section 11(1)(c) is obtained	5		
	6	Application outside India for which approval as per proviso to section 11(1)(c) is not obtained	6		
	7	Applied for any purpose beyond the objects of the trust or institution	7		
	8	Any other disallowable application	8		
C	Source of fund to meet revenue and capital application in Row A (to the extent amount at Sl. No. C2 to C7 is included in Sl. No. A12)		C		
	1	Income derived from the property/income earned during previous year (Excluding corpus)	1		
	2	Income accumulated as under section 11(2) or third proviso to section 10(23C) in earlier years	2		
	3	Income deemed to be applied in any preceding year under clause 2 of explanation 1 of section 11(1) (applicable only when exemption is claimed u/s 11 and 12)	3		
	4	Income of earlier years upto 15% accumulated or set apart	4		
	5	Corpus	5		
	6	Borrowed Fund	6		
	7	Any other (Please specify)	8		
D	Total Amount applied during the previous year [A12-B-C2-C3-C4-C5-C6-C7]		D		
E	Amount which was not actually applied during the previous year out of D (if it is included in Sl. No. A12)		E		
F	Amount actually paid during the previous year which accrued during any earlier previous year but not claimed as application of income in earlier previous year		F		
G	Total amount to be allowed as application (G=D-E+F)		G		

Schedule IE- 1		Income & Expenditure statement [Applicable for assessee claiming exemption under sections 10(21),10(23AAA), 10(23B), 10(23D), 10(23DA), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(23FB), 10(29A), 10(46), 10(46A), 10(46B),10(47) {Exemptions are not subject to computational or heads of income conditions}]			
	1	Total receipts including any voluntary contribution	1		
	2	Application of income towards object of the institution	2		
	3	Accumulation of income	3		

Schedule IE- 2		Income & Expenditure statement [Applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23A), 10(24)] {Where certain heads of income only are taxable and other receipts reported in Row A below are exempt}			
A	1	Total receipts including any voluntary contribution (Excluding receipts falling under taxable heads to be reported as per Row B)	1		
	2	Application of income towards object of the institution	2		
	3	Accumulation of income	3		
B	1	Do you have any income which is taxable? If Yes Please provide details (Tick) <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	a	Income from House Property? (If yes, Please fill Schedule HP)		1	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	b	Income from Business or Profession (If yes, Please fill Schedule BP)		1	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	c	Income from Capital gains (If yes, Please fill Schedule CG)		1	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	d	Income from other Sources (If yes, Please fill Schedule OS)		1	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

Schedule IE- 3		Income & Expenditure statement [applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23C)(iiiab) or 10(23C)(iiiac)] (please fill up address for each institution separately): {Exemption is			
-----------------------	--	--	--	--	--

		<i>subject to Government grants exceeding fifty per cent of the total receipts including voluntary contributions}</i>	
1	Objective of the institution (drop down to be provided - Educational / Medical)	1	
2	Addresses where activity is carrying out	2	
3	Total receipts including any voluntary contribution	3	
4	Government Grants out of Sl. No. 3 above	4	
5	Amount applied for objective	5	
6	Balance accumulated	6	

Schedule IE- 4		Income & Expenditure statement [applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23C)(iiia) or 10(23C)(iiib)] (please fill up address for each institution separately): {Exemption is subject to total receipts from all the institutions/universities not exceeding five crore rupees}	
1	Objective of the institution (drop down to be provided - Educational / Medical)	1	
2	Addresses where activity is carrying out	2	
3	Gross Annual receipts	3	
4	Amount applied for objective	4	
5	Balance accumulated	5	
(Add row option to be provided for Sl. No. 1 to 5 above)			
Sum of Gross Annual receipts (Sum of Sl. No. 3)			

Schedule HP		Details of Income from House Property (Drop down to be provided indicating ownership of property)											
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1	Town/ City	State	Country	PIN Code/ Zip Code							
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)												
	Assessee's percentage of share in the property												
	Name of Co-owner(s)			PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s) (optional)			Percentage Share in Property						
	I												
	II												
	/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option] <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Deemed let out		Name(s) of Tenant (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if available)			PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)					
			I										
			II										
			Gross rent received or receivable or lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)			1a							
			b The amount of rent which cannot be realized			1b							
			c Tax paid to local authorities			1c							
			d Total (1b + 1c)			1d							
			e Annual value (1a - 1d)			1e							
			f 30% of 1e			1f							
		g Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)			1g								
		h Total (1f + 1g)			1h								
		i Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%			1i								

	j	Income from house property 1 (1e – 1h + 1i) (fill up details separately for each property)	1j	
2		Pass through income/Loss if any *	2	
3		Income under the head “Income from house property” ($\Sigma 1j + 2$) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)	3	
NOTE		Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.		

Schedule CG		Capital Gains										
CAPITAL GAINS	Short-term Capital Gains	A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)										
		1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of capital gain)									
			Date of purchase/acquisition	DD/MM/YYYY		Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY					
		a	i	Full value of consideration received/receivable				ai				
				ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii			
					iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii		
			b Deductions under section 48									
			i	Cost of acquisition without indexation				bi				
				Cost of Improvement without indexation				bii				
				Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii				
				Total (bi + bii + biii)				biv				
			c Balance (aiii – biv)					1c				
			d Deduction under section 54G/54GA (Specify details in item D below)					1d				
		e Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)							A1e			
		F In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)										
	S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State				
NOTE ▶ Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.												
2 From slump sale												
A	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)				2ai						
		Fair market value as per Rule 11UAE(3)				2aii						
		Full value of consideration (higher of ai or aii)				2aiii						
B Net worth of the undertaking or division (6(e) of Form 3CEA)					2b							
C Short term capital gains from slump sale (2aiii-2b)							A2c					
3 From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII) (where A4 is not applicable)												
a	Full value of consideration				3a							
	b Deductions under section 48											

			i	Cost of acquisition without indexation	bi			
			ii	Cost of Improvement without indexation	bii			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
			iv	Total (i + ii + iii)	biv			
		c	Balance (3a – biv)		3c			
		d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)		3d			
		e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)		A3e			
	4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)						
		a	STCG on transactions covered u/s 111A		A4a			
			(i) Where the transfer was before 23 rd July 2024		A4ai			
			(ii) Where the transfer was on or after 23 rd July 2024		A4aii			
		b	STCG from sale of shares not covered in sl.no 4a or sale of debentures		A4b			
	5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD						
		a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
			ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii			
			iii	Total (ic + ii)	aiii			
		b	Deductions under section 48					
			i	Cost of acquisition without indexation	bi			
			ii	Cost of improvement without indexation	bii			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
			iv	Total (i + ii + iii)	biv			
		c	Balance (5aiii – biv)		5c			
		d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)		5d			
		e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)			A5e		
	6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above						
		a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			

		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares				aii			
		iii	Total (ic + ii)				aiii			
	b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition without indexation				bi			
		ii	Cost of Improvement without indexation				bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii			
		iv	Total (i + ii + iii)				biv			
	c	Balance (6aiii – biv)				6c				
	d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				6d				
	e	Deemed short term capital gains on depreciable assets				6e				
	f	Deduction under section 54G/54GA				6f				
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)						A6g		
7	Amount deemed to be short term capital gains									
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below									
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)				
				Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account					
	i	2022-23	54G/54GA							
	ii	2023-24	54G/54GA							
	iii	2024-25	54G/54GA							
	b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54G/54GA, other than at 'a'								
		Total amount deemed to be short term capital gains (Xi + Xii + Xiii + b)						A7		
8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8ai+A8aii+A8b + A8c)						A8			
	a	Pass Through Income/loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 20%				A8a				
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%				A8b				
	c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates				A8c				
9	Amount of STCG included in A1 – A8 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (Applicable for non-residents only)									
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
	a	Total amount of STCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA							A9a	

		b	Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA						A9b	
	A(A)	Capital loss on buy back of shares [Short Term Capital loss @20% / 30% / Applicable rate] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in 1aiii or sl.no.2c/2d of schedule OS)						A(A)		
	10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8 - A9a +A(A))						A10		
B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 5,6, & 7 are not applicable for residents)									
	Long-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)							
			Date of purchase/acquisition	DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY				
		a	i	Full value of consideration received/receivable				ai		
			ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii		
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii		
		b	Deductions under section 48							
			i	Cost of acquisition without indexation				bi		
			ii	Cost of Improvement without indexation				bii		
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii		
			iv	Total (bi+bii+biii)				biv		
				Cost of acquisition without indexation				bi		
		c	Balance (aiii – biv)				1c			
	d	Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)				1d				
	e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)				B1e				
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
		S. No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State	
		NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
	g	Total Long-term Capital Gains on Immovable property (ΣB1e)					B1g			
	2	From slump sale								
	a	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)			2ai				
		ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)			2aii				
iii		Full value of consideration (higher of ai or aii)			2aiii					
b	Net worth of the undertaking or division(6(e) of Form 3CEA)				2b					
c	Balance (2aiii – 2b)				2c					
d	Deduction u/s 54EC				2d					
e	Long term capital gains from slump sale(2c-2d)				B2e					
3	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds as per sec 112(1)									
	a	Full value of consideration			3a					
	b	Deductions under section 48								
	i	Cost of acquisition without indexation			bi					

		ii	Cost of improvement without indexation	bii				
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii				
		iv	Total (bi + bii +biii)					
	c	Long Term Capital Gains on assets at B3 above (3a – biv)		B3c				
4	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A							
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B4						B4	
5	For NON-RESIDENTS- from sale of unlisted shares or listed debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)							
	LTCG computed without indexation benefit on unlisted shares or listed debentures						B5	
6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD							
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details					
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares		aii			
		iii	Total (ic + ii)		aiii			
	b	Deductions under section 48						
		i	Cost of acquisition without indexation		bi			
		ii	Cost of improvement without indexation		bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii			
		iv	Total (bi + bii +biii)		biv			
	c	Long-term Capital Gains on assets at B6 above in case of NON-RESIDENT (6aiii-6biv)		B6c				
7	For FII/FPI (NON-RESIDENTS) - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A read with section 115AD							
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B7						B7	
8	From sale of assets where B1 to B7 above are not applicable							
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details					
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			

		b	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA		B11b			
		B(A)	Capital Loss on buy back of shares (Long Term @12.5%) (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in 1aiii or sl.no.2c/2d of schedule OS)		B(A)			
		12	Total long term capital gain] [B1g + B2e + B3c + B4 + B5 + B6c + B7+ B8e+ B9+B10-B11a + B(A)]		B12			
	C1	Sum of Capital Gain Incomes (8ii + 8iii + 8iv + 8v + 8vi + 8vii + of table E below)			C1			
	C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA)			C2			
	C3	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)			C3			
	D	Information about deduction claimed against Capital Gains						
		1	In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details					
			a	Deduction claimed u/s 54D				
			i	Date of acquisition of original asset	ai	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking	aii			
			iii	Date of purchase of new land or building	aiii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	aiv			
				(iva) Date of Deposit	(ivb) Account Number	(ivc) IFS Code		
				dd/mm/yyyy				
			v	Amount of deduction claimed	av			
			b	Deduction claimed u/s 54EC				
			i	Date of transfer of original asset	bi	dd/mm/yyyy		
			ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)	bii			
			iii	Date of investment	biii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount of deduction claimed	biv			
			c	Deduction claimed u/s 54G				
			i	Date of transfer of original asset	ci	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	cii			
			iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	ciii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	civ			
				(iva) Date of deposit	(ivb) Account Number	(ivc) IFS Code		
				dd/mm/yyyy				
			v	Amount of deduction claimed	cv			
			d	Deduction claimed u/s 54GA				
			i	Date of transfer of original asset from urban area	di	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	dii			
			iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ	diii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	div			
				(iva) Date of Deposit	(ivb) Account Number	(ivc) IFS Code		
				dd/mm/yyyy				
			v	Amount of deduction claimed	dv			
		e	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d)			e		

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9a & B12a which is NOT chargeable under DTAA)									
Sl. No.	Type of Capital Gain	Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss set off				Long term capital loss set off		Current year's capital gains remaining after set off remaining a off (8=1-2-3-4-5-6-7)
			20%	30%	applicable rate	DTAA rates	12.5%	DTAA rates	
		1	2	3	4	5	6	7	8
i	Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) →		$(A3e^{*+} + A4a^{*+} + A8a^{*+} + A(A))$	$(A5e^{*+} + A8b^{*+} + A(A))$	$(A1e^{*+} + A2c^{*+} + A4b^{*+} + A6g^{*+} + A7^{*+} + A8c^{*+} + A(A))$	A9b	$(B1g^{*+} + B2e^{*+} + B3c^{*+} + B4^{*+} + B5^{*+} + B6c^{*+} + B7^{*+} + B8e^{*+} + B9^{*+} + B10a1^{*+} + B10a2^{*+} + B(A))$	B11b	
ii		20%	$(A3e^{*+} + A4a^{*+} + A8a^{*+} + A(A))$						
iii		30%	$(A5e^{*+} + A8b^{*+} + A(A))$						
iv		applicable rate	$(A1e^{*+} + A2c^{*+} + A4b^{*+} + A6g^{*+} + A7^{*+} + A8c^{*+} + A(A))$						
v		DTAA rates	A9b						
vi		12.5%	$(B1g^{*+} + B2e^{*+} + B3c^{*+} + B4^{*+} + B5^{*+} + B6c^{*+} + B7^{*+} + B8e^{*+} + B9^{*+} + B10a1^{*+} + B10a2^{*+} + B(A))$						
vii		DTAA rates	B11b						
viii		Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii)							
ix	Loss remaining after set off (i-viii)								

F Information about accrual/receipt of capital gain							
S. No.	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)	
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 20%						
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30%						

3	Short-term capital gains taxable at applicable rates					
4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates					
5	Long-term capital gains taxable at the rate of 12.5%					
6	Long-term capital gains taxable at the rate DTAA rates					
7	Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 16B of schedule SI, if any</i>					

Schedule VDA		Income from transfer of Virtual Digital Assets u/s 115BBH (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)				
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost Acquisition of (In case of gift: a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)						(Item No. A3d of Schedule BP)
B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						(Item No. C2 of Schedule CG)

Schedule OS		Income from other sources				
OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)			1	
	a	Dividends, Gross (ai+aii+aiii)			1a	
		i	Dividend income other than (ii) and (iii)		ai	
		ii	Dividend income u/s 2(22)(e)		a ii	
		iii	Dividend income u/s 2(22)(f)		a iii	
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv)			1b	
		i	From Savings Bank	bi		
		ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society)	bii		
		iii	From Income-tax Refund	biii		
		iv	In the nature of Pass-through income/Loss	biv		
		v	Others including interest from Companies, NBFCs & HFCs	bv		
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross			1c	
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)			1d	

		i	Aggregate value of sum of money received without consideration	di			
		ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii			
		iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration as adjusted as per section 56(2)(x)	diii			
		iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	div			
		v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	dv			
		e	Any other income (<i>please specify nature</i>)	1e			
		Sl. No.	Nature	Amount			
		1	Income due to disallowance of exemption under clauses of section 10				
		2	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year chargeable u/s 56(2)(xii)				
			Rows can be added as required				
		2	Income chargeable at special rates (2ai + 2aii + 2b+ 2c+ 2d + 2e elements related to Sl. No. 1)			2	
		ai	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB	2ai			
		aia	Winnings from online games chargeable u/s 115BBJ	2aia			
		b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)	2b			
		i	Cash credits u/s 68	bi			
		ii	Unexplained investments u/s 69	bii			
		iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii			
		iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv			
		v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv			
		vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi			
		c	Any other income chargeable at special rate (<i>total of ci to cxiv</i>)	2c			
		i	Dividends received by non-resident (not being a company) or a foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)	ci			
		ia	Dividend received by non-resident (not being a company) or a foreign company, from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to 115A(1)(a)(A)	cia			
		ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	cii			
		iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	ciii			
		iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%	civ			
		v	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @4 %	cv			
		vi	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	cvi			

	6	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 (after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)					6
	7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2+6) (enter 6 as nil, if negative)					7
	8	Income from the activity of owning and maintaining race horses					
	a	Receipts	8a				
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only	8b				
	c	Amounts not deductible u/s 58	8c				
	d	Profits chargeable to tax u/s 59	8d				
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d)				8e	
	9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)					9
	10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources					
	S. No.	Other Source Income	Upto 15/6 (i)	From 16/6 to 15/9 (ii)	From 16/9 to 15/12 (iii)	From 16/12 to 15/3 (iv)	From 16/3 to 31/3 (v)
	1	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)					
	2	Winnings from online games u/s 115BBJ					
	3a	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)					
	3b	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(iii)					
	4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than as per proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI income)					
	5	Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)					
	6	Dividend Income u/s 115AC @ 10%					

		7	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
		8	Dividend income chargeable at DTAA Rates						

Schedule OA General

	Do you have any income under the head business and profession? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "yes" please enter following details)		
1	Nature of Business or profession		1
2	Number of branches	<input type="text"/>	2
3	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash		3
4	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes		4
5	Effect on the profit because of deviation, if any, in the method of accounting employed in the previous year from accounting standards prescribed under section 145A		5
6	Method of valuation of closing stock employed in the previous year		6
a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	<input type="checkbox"/>	6a
b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	<input type="checkbox"/>	6b
c	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		6c
d	Effect on the profit or loss because of deviation, if any, from the method of valuation prescribed under section 145A		6d

Schedule BP Computation of income from business or profession

INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business			
	1	Profit before tax as per income and expenditure account (as applicable)		1	
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter -ve sign in case of loss)	2a		
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter -ve sign in case of loss)	2b		
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBH	a	House property	3a
			b	Capital gains	3b
			c	Other sources	3c
			ci	Dividend income	3ci
			cii	other than Dividend income	3cii
	d	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition, if any)	3d	(Item No. A of Schedule VDA)	
4	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AE	4			
5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt				

	a	Share of income from firm(s)	5a				
	b	Share of income from AOP/ BOI	5b				
	c	Any other exempt income (specify nature and amount)					
		i		ci			
		ii		cii			
	iii	Total (ci + cii)	5ciii				
d	Total exempt income			5d			
6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 4– 5d)					6	
7		Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/ related to income chargeable u/s 115BBH	a	House property	7a		
			b	Capital gains	7b		
			c	Other sources	7c		
			d	u/s 115BBH (other than Cost of Acquisition)	7d		
8	Total (7a + 7b + 7c+ 7d)			8			
9	Adjusted profit or loss (6+8)					9	
10	Depreciation and amortization debited to profit and loss account					10	
11	Depreciation allowable under Income-tax Act						
	i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia)			11i		
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)			11ii		
	iii	Total (11i+11ii)				11iii	
12	Profit or loss after adjustment for depreciation (9+10-11iii)					12	
13	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36				13		
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37				14		
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40				15		
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A				16		
17	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B				17		
18	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006				18		
19	Deemed income under section 41				19		
20	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/ 35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A				20		
21	Deemed income under section 43CA				21		
22	Any other item of addition under section 28 to 44DB				22		
23	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a partner)				23		
24	Total (13+ 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23)					24	
25	Deduction allowable under section 32(1)(iii)				25		
26	Amount allowable as deduction under section 32AC				26		
27	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 23)				27		
28	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year				28		
29	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year				29		

	30	Any other amount allowable as deduction	30		
	31	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock	31		
	32	Total (25+26+27+28+29+30+31)		32	
	33	Income (12+24-32)		33	
	34	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
		i Section 44AE	34i		
	35	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (33+34)		35	
	36	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 35)		A36	
	B	Computation of income from speculative business			
	37	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account		37	
	38	Additions in accordance with section 28 to 44DB		38	
	39	Deductions in accordance with section 28 to 44DB		39	
	40	Income from speculative business) (37+38-39)		B40	
	C	Computation of income from specified business under section 35AD			
	41	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account		41	
	42	Additions in accordance with section 28 to 44DB		42	
	43	Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section, (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)		43	
	44	Profit or loss from specified business) (41+42-43)		44	
	45	Deductions in accordance with section 35AD(1)		45	
	46	Income from Specified Business) (44-45)		C46	
	47	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)		C47	
	D48	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A36+B40+C46+A3d)		D48	
	E	Intra head set off of business loss of current year			
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A36)	
	ii	Income from speculative business	(B40)		
	iii	Income from specified business	(C46)		
	iv	Total loss set off (ii + iii)			
	v	Loss remaining after set off (i - iv)			

Schedule CYLA Details of Income after set-off of current years losses							
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
				Total loss (3 of Schedule -HP)	Total loss ((2v of item E) of Schedule-BP)	Total loss (6 of Schedule-OS)	
				1	2	3	

	Loss to be adjusted ->					
i	House property					
ii	Business (excluding speculation income and income from specified business)					
iii	Speculation income					
iv	Specified business income u/s 35AD					
v	Short-term capital gain taxable @ 20%					
vi	Short-term capital gain taxable @ 30%					
vii	Short-term capital gain taxable at applicable rates					
viii	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA					
ix	Long term capital gain taxable @ 12.5%					
x	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA					
xi	Net Income from Other sources (excluding profit from owning race horses and winnings from lottery)					
xii	Profit from owning and maintaining race horses					
xiii	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA					
xiv	Total loss set-off					
xv	Loss remaining after set-off					

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115U, 115UA and 115UB										
PASS THROUGH INCOME	Sl .	Investment entity covered by section 115U/115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl .	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1.	(drop down to be provided)				i	House property						
					ii	Capital Gains						
					A	Short term						
					ai	Section 111A						
					ai i	Others						

						B	Long term					
						bi	Section 112A					
						bi	Sections other than 112A					
					iii	Other Sources						
					a	Dividend						
					b	Others						
					iv	Income claimed to be exempt						
					A	u/s						
											
						...						
						Add row to be provided						
					i	House property						
					ii	Capital Gains						
					A	Short term						
					ai	Section 111A						
					ai	Others						
					B	Long term						
					bi	Section 112A						
					bi	Section other than 112A						
					iii	Other Sources						
					A	Dividend						
					B	Others						
					iv	Income claimed to be exempt						
					A	u/s						
											
											
						Add row to be provided						

Schedule SI		Income chargeable to tax at special rates				
SPECIAL RATE	Sl. No.	Section	<input checked="" type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
	1	111A (STCG on shares where STT paid)	<input type="checkbox"/>	20		
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30		
	3	112(1) (LTCG on listed securities/ units)	<input type="checkbox"/>	12.5		
	4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	12.5		

5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	<input type="checkbox"/>	12.5		
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	12.5		
7	115AD (LTCG for FII on securities)	<input type="checkbox"/>	12.5		
8	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	12.5		
9	112A (LTCG on equity shares/units of equity-oriented fund/units of business trust on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	12.5		
10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>			
11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>			
12	115AC (Income by way interest received by non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10		
13	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10		
14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30		
15	115BBJ (Winnings from online games)	<input type="checkbox"/>	30	(2aii of Schedule OS)	
16	115BBH- Tax on Income from Virtual Digital asset				
	A) Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	30	(3d of Schedule BP)	
	B) Income under head Capital Gain	<input type="checkbox"/>	30	(C2 of Schedule CG)	
17	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60		
18	Any other income chargeable at special rate (Please choose from drop down menu)	<input type="checkbox"/>		(part of 2c of schedule OS)	
19	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 2e of schedule OS)	
20	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20		
21	Pass through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30		
22	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% u/s 112A	<input type="checkbox"/>	12.5		
23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% - u/s other than 112A	<input type="checkbox"/>	12.5		
24	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates	<input type="checkbox"/>		(2d of schedule OS)	
	Total				

Schedule 115TD		Accreted income under section 115TD (Applicable if exemption claimed u/s 11 and 12 or 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via))			
1	Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of specified person	1			
2	Less: Total liability of specified person	2			
3	Net value of assets (1 – 2)	3			
4	(i) FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1)	4i			

	(ii) FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration/provisional registration/approval u/s 12AB or 2 nd Proviso to s. 10(23C), if benefit u/s 11 and 12 or 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/10(23C)(vi)/10(23C)(via) respectively not claimed during the said period	4ii		
	(iii) FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2)	4iii		
	(iv) Total (4i + 4ii + 4iii)		4iv	
5	Liability in respect of assets at 4 above		5	
6	Accreted income as per section 115TD [3 - (4iv - 5)]		6	
7	Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate		7	
8	Interest payable u/s 115TE		8	
9	Specified date u/s 115TD		9	
10	Additional income-tax and interest payable		10	
11	Tax and interest paid		11	
12	Net payable/refundable (10 - 11)		12	
13	Date(s) of deposit of tax on accreted income	Date 1 DD/MM/YYYY	Date 2 DD/MM/YYYY	Date 3 DD/MM/YYYY
14	Name of Bank and Branch			
15	BSR Code			
16	Serial number of challan			
17	Amount deposited			

Schedule 115BBI		Specified income of certain institutions under section 115BBI		
	Particulars		Amount	
1	Deemed income referred in Explanation 4 to the third proviso to section 10(23C) or section 11(3)	1	<Total of Col 15 of Schedule I >	
2	Deemed income referred under section 11(1B)	2	< Total of Col 8 of Schedule D >	
3	Income which is deemed to be income under the twenty-first proviso to Section 10(23C) or which is not excluded from the total income as per section 13(1)(c)	3		
4	Income which is not exempt under section 10(23C) on account of violation of clause (b) of the third proviso of section 10(23C) or which is not excluded from the total income as per section 13(1)(d)	4		
5	Income which is not excluded from the total income as per section 11(1)(c)	5		
6	Income accumulated or set apart in excess of fifteen per cent of the income where such accumulation is not allowed under any specific provision of this Act;	6		
7	Total (total of Sl. No. 1 to 6)	7		

Schedule FSI	Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)
--------------	--

A2 Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period <i>(drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
A3 Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025												
Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
A4 Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest-Direct/Beneficial owner/Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025												
Sl No	Country	Address of the Property	Ownership-	Total Investment	Income derived	Income taxable and offered in this return						

	Name and code	Zip Code		Direct/Beneficial owner/Beneficiary	Date of acquisition	(at cost) (in rupees)	from the property	Nature of Income	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D	Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025											
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of Asset	Ownership-Direct/Beneficial owner/Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(i)												
(ii)												
E	Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025 and which has not been included in A to D above.											
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	Zip Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(i)												
(ii)												
F	Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor											
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(i)												
(ii)												
G	Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession											
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the person from whom derived			Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return			
(1)	(2a)	(2b)	(3)			(4)	(5)	(6)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(i)												
(ii)												

Schedule SH SHAREHOLDING OF UNLISTED COMPANY											
If you are an unlisted company, please furnish the following details:-											
Details of shareholding at the end of the previous year											
Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN	Date of acquisition	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received			
Details of equity share application money pending allotment at the end of the previous year											
Name of the applicant	Residential status in India	Type of share	PAN	Date of application	Number of shares applied for	Application money received	Face value per share	Proposed issue price			
Details of shareholders who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year											
Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received	Date of acquisition	Date on which cease to be shareholder	Mode of cessation	In case of transfer, PAN of the shareholder

Part-B

Part B – TI STATEMENT OF INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31 ST MARCH, 2026											
Part B1 – Applicable if exemption is being claimed u/s 11 and 12 or 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via) and where Part B3 is not applicable.											
1	Voluntary Contributions and anonymous donations taxable u/s 115BBC (Other than Corpus) [(C- Ai-Bi+E) of Schedule VC]									1	
2	Voluntary contribution forming part of corpus other than anonymous donations taxable u/s 115BBC [(A + B) of schedule Part B-TI -Part B1]									2	
	A	Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) [Aia +Bia of Schedule VC]							A		
	B	Corpus other than above [Aib +Bib of Schedule VC]							B		
3	Aggregate of income referred to in sections 11, 12 and sections 10(23C)(iv), 10(23C)(v), 10(23C)(vi) and 10(23C)(via) derived during the previous year excluding Voluntary contribution included in 1 above (10 of Schedule AI)									3	
4	Amount eligible for exemption under section 11(1)(c)									4	
	A	Approval number given by the Board							A		
	B	Date of approval by board							B		
5	Income to be applied [1+3-4-(A1-A1a of Schedule A)]									5	
6	Application of income for charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution:-										
	i	Amount applied during the previous year [Excluding application from borrowed fund, deemed application, previous year accumulation upto 15% etc, i. e. not from the income of prev. year] [Sr.no. G from Schedule A]							6i		
	ii	Repayment of loan during the previous year- [Sr.no. 4 of table A2 of Schedule J]							6ii		
	iii	Amount applied during the previous year- invested or deposited back into specified mode of Corpus fund (disallowed earlier on application of fund for object of trust/institution) invested or deposited back, into one or more of the forms or modes specified in Section 11(5) maintained specifically for such corpus, from the income of that year and to the extent of such investment or deposit [Sr.no. 4 of table A1 of Schedule J]							6iii		
	iv	Amount deemed to have been applied during the previous year as per clause (2) of Explanation to section 11(1) < Col 2 of Schedule D for FY 2025-26>							6iv		
		A	If (iv) above applicable, whether option in Form No. 9A has been furnished to the Assessing Officer							A	
		B	If yes, date of furnishing Form No. 9A (DD/MM/YYYY)							B	
	v	Amount accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution to the extent it does							6v		

		not exceed 15 per cent of income derived from property held in trust/ institution under section 11(1)(a)/11(1)(b) or in terms of third proviso to section 10(23C) {restricted to maximum of 15% of [(1 + 3 above) -(A1 of Schedule A)]}		
	vi	Amount in addition to amount referred to in (v) above, accumulated or set apart for specified purposes if all the conditions in section 11(2) and 11(5) or third proviso to section 10(23C) are fulfilled) <Col 2 of Schedule I for FY 2025-26>		6vi
		A	If (vi) above applicable, whether option in Form No. 10 has been furnished to the Assessing Officer	A
		B	If yes, date of furnishing Form No. 10 (DD/MM/YYYY)	B
	vii	Total [6i+6ii+6iii+6iv+6v+6vi]		6vii
7	Additions			
	i	Income chargeable under section 115BBI <Total of Sl. No 7 of Schedule 115BBI>		7i
	ii	Income in respect of which exemption under section 11 is not available, being anonymous donation (Diii of schedule VC)		7ii
	iii	Income chargeable under section 12(2)		7iii
	iv	Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40(a)(ia) or 10(23C) r.w.s. 40(a)(ia)		7iv
	v	Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40A(3)/(3A) or 10(23C) r.w.s. 40A(3)/(3A)		7v
	vi	Income as per Explanation 3B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of Explanation 3A to section 11(1) read with section 80G(2)(b)		7vi
	vii	Income as per Explanation 1B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of Explanation 1A to section 10(23C) read with section 80G(2)(b)		7vii
	viii	Any other income on which exemption is not allowable under the Income-tax Act		7viii
	ix	Total [7i+7ii+7iii+7iv+7v+7vi+7vii+7viii]		7ix
8	Income chargeable u/s 11(4)			8
9	Gross income after Exemption u/s 11/10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via) [(5-6vii)+7ix+8]			9
10	Income not forming part of item No. 9 above			
	i	Income from house property [3 of Schedule HP] (enter nil if loss)		10i
	ii	Profits and gains of business or profession [as per item No. D 48 of schedule BP]		10ii
	iii	Income under the head Capital Gains		
		A	Short term	10iiiA
		Ai	Short-term chargeable @ 20% (8ii of item E of schedule CG)	Ai
		Aii	Short-term chargeable @ 30% (8iii of item E of schedule CG)	Aii
		Aiii	Short-term chargeable at applicable rate (8iv of item E of schedule CG)	Aiii
		Aiv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8v of item E of Schedule CG)	Aiv
		Av	Total Short-term (Ai + Aii + Aiii+ Aiv) (enter nil if loss)	Av
		B	Long term	10iiiB
		Bi	Long-term chargeable @ 12.5% (8vi of item E of schedule CG)	Bi
		Bii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8vii of item E of schedule CG)	Bii
		Biii	Total Long-term (Bi + Bii) (enter nil if loss)	Biii
		C	Sum of Short-term/Long-term capital gains (Av+Biii) (enter nil if loss)	10iiiC
		D	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	10iiiD
		E	Total capital gains (C + D)	10iiiE
	iv	Income from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]		10iv
	v	Total (10i + 10ii + 10iiiE + 10iv)		10v
11	Gross income (9+10)			11

12	Losses of current year to be set off against 10v (total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule CYLA)	12	
13	Total Income (11-12)	13	
14	Income which is included in 13 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)	14	
15	Anonymous donations, included in 13, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of Schedule VC)	15	
16	Specified Income chargeable u/s 115BBI, included in 13, to be taxed @ 30% (Sl. No. 7 of Schedule 115BBI)	16	
17	Aggregate Income to be taxed at normal rates (13-14-15-16)	17	

Part B2 - Applicable if exemption is being claimed under section 13A/13B and under sections 10(21), 10(23A), 10(23AAA), 10(23B), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(29A), 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiac), 10(23C)(iiiad), 10(23C)(iiiie), 10(23D), 10(23DA), 10(23FB), 10(24), 10(46), 10(47)					
1	Amount eligible for exemption under sections 10(21), 10(23AAA), 10(23B), 10(23D), 10(23DA), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(23FB), 10(29A), 10(46), 10(46A), 10(46B), 10(47) [Sl. No. 1 of Schedule IE-1]		1		
2	Amount eligible for exemption under section 10(23A), 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiac), 10(23C)(iiiad), 10(23C)(iiiie), 10(24) [{Sl. No. 1 of Schedule IE-2 (For Row A)} or {Total of Sl. No. 3 of Schedule IE-3} or {Total of Sl. No. 3 of Schedule IE-4}]		2		
3	Income chargeable under section 11(3) read with section 10(21) [Total of Col 15 of Schedule I]		3		
4	Income claimed as exempt under section 13A in case of a Political Party		4		
5	Income claimed as exempt under section 13B in case of an Electoral Trust (item No. 6vii of Schedule ET)		5		
6	Voluntary Contribution received during the year [applicable for Section 13A and 13B]		6		
7	Heads of Income not forming part of above				
	i	Income from house property [3 of Schedule HP] (enter nil if loss)	7i		
	ii	Profits and gains of business or profession [as per item No. D 48 of schedule BP]	7ii		
	iii	Income under the head Capital Gains			
	A	Short term (A5 of schedule CG)	7iiiA		
	Ai	Short-term chargeable @ 20% (8ii of item E of schedule CG)	Aib		
	Aii	Short-term chargeable @ 30% (8iii of item E of schedule CG)	Aii		
	Aiii	Short-term chargeable at applicable rate (8iv of item E of schedule CG)	Aiii		
	Aiv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8v of item E of Schedule CG)	Aiv		
	Av	Total Short-term (Ai + Aii + Aiii + Aiv) (enter nil if loss)	Av		
	B	Long term (B4 of schedule CG) (enter nil if loss)	7iiiB		
	Bi	Long-term chargeable @ 12.5% (8vi of item E of schedule CG)	Bi		
	Bii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8vii of item E of schedule CG)	Bii		
	Biii	Total Long-term (Bi + Bii) (enter nil if loss)	Biii		
	C	Sum of Short-term/Long-term capital gains (Av+Biii) (enter nil if loss)	7iiiC		
	D	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	7iiiD		
	E	Total capital gains (C + D)	7iiiE		
	iv	Income from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]	7iv		
	v	Total (7i + 7ii + 7iiiE + 7iv)	7v		
8	Gross income [6+7v-4-5] +3		8		
9	Losses of current year to be set off against 7v (total of 2xiv, 3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)		9		
10	Gross Total Income (8-9)		10		

11	Income which is included in 10 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SJ)	11	
12	Net Agricultural income for rate purpose	12	
13	Aggregate Income (10-11+12) [applicable if (10-11) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	13	
14	Income chargeable at maximum marginal rates	14	

Part B3- Applicable if total income chargeable to tax u/s twenty-second proviso to section 10(23C) or section 13(10)			
If yes in Sl. No. A(26) of Part A-General, please the provide computation of Income chargeable under twenty second proviso to Clause (23C) of section 10/Sub-section (10) of section 13			
1	Total Income for the previous year other than Sl. No. 7		Amount in Rs.
2	Total Expenditure incurred in India, for the objects of the assessee		Amount in Rs.
3	Expenditure to be disallowed		
	(i)	Expenditure from the corpus standing to the credit of the trust or institution as on the end of the financial year immediately preceding the previous year relevant to the assessment year for which income is being computed	Amount in Rs.
	(ii)	Expenditure from any loan or borrowing	Amount in Rs.
	(iii)	Depreciation in respect of an asset, acquisition of which has been claimed as application of income, in the same or any other previous year; and	Amount in Rs.
	(iv)	Expenditure in the form of contribution or donation to any person.	Amount in Rs.
	(v)	Capital expenditure	Amount in Rs.
	(vi)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40	Amount in Rs.
	(vii)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-section 3 of section 40A	Amount in Rs.
	(viii)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with section (3A) of section 40A	Amount in Rs.
	(ix)	Any other disallowance	Amount in Rs.
(x)	Total expenditure to be disallowed (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)		Amount in Rs.
4	Additions		
	(i)	Income chargeable under section 115BBI <Total of Sl. No 7 of Schedule 115BBI>	Amount in Rs
	(ii)	Income in respect of which exemption under section 11 is not available, being anonymous donation (Diii of schedule VC)	Amount in Rs
	(iii)	Income chargeable under section 12(2)	Amount in Rs
	(iv)	Income as per Explanation 3B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of Explanation 3A to section 11(1) read with section 80G(2)(b)	Amount in Rs
	(v)	Income as per Explanation 1B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of Explanation 1A to section 10(23C) read with section 80G(2)(b)	Amount in Rs
	(vi)	Any other income on which exemption is not allowable under the Income-tax Act	Amount in Rs
	(vii)	Total Additions (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	Amount in Rs
5	Income chargeable u/s 11(4)		Amount in Rs
6	Sum total [(1-2+3x)+4vii+5]		Amount in Rs
7	Income not forming part of item No. 6 above		
	i	Income from house property [3 of Schedule HP] (enter nil if loss)	Amount in Rs.
	ii	Profits and gains of business or profession [as per item No. D48 of schedule BP]	Amount in Rs.
	iii	Income under the head Capital Gains	
		a	Short term
	ai	Short-term chargeable @ 20% (8ii of item E of schedule CG)	

	aii	Short-term chargeable @ 30% (8iii of item E of schedule CG)	Amount in Rs.
	aiii	Short-term chargeable at applicable rate (8iv of item E of schedule CG)	Amount in Rs.
	aiv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8v of item E of Schedule CG)	Amount in Rs.
	av	Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	Amount in Rs.
	b	Long term	
	bi	Long-term chargeable @ 12.5% (8vi of item E of schedule CG)	
	bii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8vii of item E of schedule CG)	Amount in Rs.
	biii	Total Long-term (bi + bii) (enter nil if loss)	Amount in Rs.
	c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (av+biii) (enter nil if loss)	Amount in Rs.
	d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	Amount in Rs.
	e	Total capital gains (c + d)	Amount in Rs.
	iv	Income from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]	Amount in Rs.
	v	Total (7i+7ii+7iii+7iv)	Amount in Rs.
8	Losses of current year to be set off against 7v (total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule CYLA)		Amount in Rs.
9	Total Income (6+7-8)		Amount in Rs.
10	Income which is included in 9 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)		Amount in Rs.
11	Anonymous donations, included in 9, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of Schedule VC)		Amount in Rs.
12	Income chargeable u/s 115BBI, included in 9, to be taxed @ 30% (Sl. No 7 of Schedule 115BBI)		Amount in Rs.
13	Income chargeable to tax u/s twenty-second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 (9-10-11-12)		Amount in Rs.

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income	
	1	Tax payable on total income	
	a	Tax at normal rates on [Sl. No. 17 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. (13 - 14) of Part B2 of Part B-TI] OR [Sl. No. 13 of Part B3 of Part B-TI]	1a
	b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	1b
	c	Tax on anonymous donation u/s 115BBC @30% on [Sl. No. 15 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. 11 of Part B3 of Part B-TI]	1c
	d	Tax on income chargeable u/s 115BBI @30% on [Sl. No. 16 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. 12 of Part B3 of Part B-TI]	1d
	e	Tax at maximum marginal rate on Sl. No. 14 of Part B2 of Part B-TI	1e
	f	Rebate on agricultural income [In Part B2, applicable if (10-11) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	1f
	g	Tax Payable on Total Income (1a+ 1b+1c+ 1d+1e- 1f)	1g
	2	Surcharge	
	i	25% of Column (ii) of “Income under section 115BBE” of Schedule SI	2i
	ii	On [1g – (Column (ii) of “Income under section 115BBE” of Schedule SI)]	2ii

	iii	Total (i + ii)			2iii		
	3	Health and Education cess @ 4% on (1g+ 2iii)			3		
	4	Gross tax liability (1g+ 2iii + 3)			4		
	5	Tax relief					
	a	Section 90/90A (2 of Schedule TR)	5a				
	b	Section 91 (3 of Schedule TR)	5b				
	c	Total (5a + 5b)			5c		
	6	Net tax liability (4 – 5c)			6		
	7	Interest and fee payable					
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	7a				
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	7b				
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	7c				
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	7d				
	da	Fee for furnishing revised return of income (section 234-I)	7da				
	e	Total Interest and Fee Payable (7a+ 7b+ 7c+ 7d+7da)			7e		
	8	Aggregate liability (6 + 7e)			8		
TAXES PAID	9	Taxes Paid					
	a	Advance Tax (from column 5 of 15A)	9a				
	b	TDS (total of column 9 of 15B)	9b				
	c	TCS (total of column 7(i) of 15C)	9c				
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)	9d				
	e	Total Taxes Paid (9a+ 9b+ 9c+ 9d)			9e		
	10	Amount payable (Enter if 8 is greater than 9e, else enter 0)			10		
	11	Refund (If 9e is greater than 8) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)			11		
	12	Net tax payable on 115TD income including interest u/s 115TE (Sr.no. 12 of Schedule 115TD)			12		
BANK ACCOUNT	13	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)				Select Yes or No	
		a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)					
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)	Select Account for refund credit (tick at least one account ✓)
		i					<input type="checkbox"/>
	ii					<input type="checkbox"/>	

	per rule 37-I]	Number of the Collector	related to other person)	Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of any other person as per rule 37-I (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37-I (if applicable)	
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	(7)(i)	(7)(ii)	(8)
									TCS	PAN
i										
NOTE ► Please enter total of column (7)(i) in 9c of Part B-TTI										

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules, statements, etc. accompanying it is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted).

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Place

Date

Sign here →".

[No. 50/2026/F. No. 370142/10/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR. 230(E), dated the 30th March 2026